लखनऊ

मंगलवार, 30 जून, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 304

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

सपनों की उड़ान वही भरते हैं, जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं।

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

भड़काऊ बयान पर घिरे हुमायूं कबीर, दो केस दर्ज, होगी कार्रवाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि भाजपा सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के विधायक हुमायूं कबीर पर रेजीनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में दो हालिया जन सभाओं में मुख्यमंत्री और सरकारी तंत्र के खिलाफ हुमायूं कबीर द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में उनके विरुद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। हुमायूं कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की नौदा और रेजीनगर, दोनों विधानसभा सीटों से जीत दर्ज की थी। बाद में, उन्होंने नौदा से विधायक पद की शपथ ली, जिसके चलते रेजीनगर सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में दो सीटों से जीतने और बाद में उनमें से एक सीट छोड़ने वाले कबीर ''अपने बेटे के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव लड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने हुमायूं कबीर को इन जन सभाओं में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद विधायक के विरुद्ध कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''सरकार कानून का राज स्थापित करेगी।'' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ''पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की तरह कमजोर नहीं है।

पंजाब में गहराया बिजली संकट, 6 प्लांट ठप, 10 रुपये यूनिट पर बिजली खरीदने को मजबूर हुई सरकार

नई दिल्ली। दशकों तक देश में हरित क्रांति की पहचान रहा पंजाब आज खुद अपनी बिजली व्यवस्था को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है। गर्मियों के मौसम में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, उसी समय राज्य में धान की खेती का सीजन भी शुरू होता है। पिछले कुछ सालों से पंजाब गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। सरकारी बिजली कारखानों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जिससे राज्य को बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इस स्थिति से किसान, आम जनता और उद्योग सभी परेशान हैं। पंजाब की बिजली व्यवस्था को तब बड़ा झटका लगा जब सरकारी थर्मल प्लांटों की छह इकाइयां एक साथ तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गईं। इससे राज्य में 1,800 मेगावाट बिजली की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को नेशनल ग्रिड से बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। संकट के समय बिजली की कीमत लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई, जिससे बिजली निगम पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है।इस संकट का मुख्य केंद्र लेहरा मोहब्बत का गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट बना, जिसकी 920 मेगावाट क्षमता वाली चारों इकाइयां हाल ही में ठप हो गईं।

'साइकिल' चलेगी तो दंगे होंगे, इसलिए जनता ने पंचर कर दी: सीएम

सपा-कांग्रेस पर जमकर बरस

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

पीलीभीत। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पतरासा कुंवरपुर गांव में 569.11 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने करीब ढाई हजार विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा और कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता ने साइकिल पंचर कर दी। अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे। कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 'नो दंगा, नो कर्फ्यू,

सब चंगा' का माहौल है।

मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू परिवारों, गरीबों, दलितों और वंचितों की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति केवल तुष्टिकरण तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत में लगभग 2,500 विस्थापित परिवारों यानी करीब 15 हजार लोगों को नागरिकता और भूमि अधिकार का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे करीब 55 हजार परिवारों को चरणबद्ध तरीके से अधिकार दिलाने का अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत पीलीभीत से हुई। बाराबंकी, बहराइच में भी यह क्रम चल रहा है। अभी कुछ मामलों में वन विभाग और केंद्र सरकार की अनुमति मिलते ही अन्य परिवारों को भी लाभ दिया जाएगा।

देश के विभाजन का दर्द आज भी झेल रहे बंगाली परिवार: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था और उसी का परिणाम है कि हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में प्रताड़ना झेलने वाले हिंदू परिवारों को अब भारत में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन के माध्यम से इन परिवारों को न्याय मिला है।

'सैफई का विकास हुआ, पीलीभीत उपेक्षित रहा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने केवल एक परिवार और एक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी ने वास्तव में पूरे प्रदेश के विकास पर काम किया होता तो पीलीभीत में पहले ही मेडिकल कॉलेज, बेहतर सड़कें, पर्यटन सुविधाएं और गरीबों को भूमि अधिकार मिल गए होते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे प्रदेश के संतुलित विकास के लिए काम कर रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश की प्रगति का आधार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई संपर्क आर्थिक विकास को गति देते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पीलीभीत को मिली नई पहचान, विकास को मिली रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत अब विकास की नई पहचान बन रहा है। मेडिकल कॉलेज, सड़क चौड़ीकरण, पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण, युवाओं के लिए कौशल विकास और गरीबों को नागरिकता व भूमि अधिकार जैसी योजनाओं ने जिले को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रयास से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से जिले तक पहुंच रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं विकास की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से शामली तक बनने वाला आर्थिक कॉरिडोर पीलीभीत क्षेत्र को भी बेहतर संपर्क देगा। यह कॉरिडोर आगे पानीपत और सिलीगुड़ी तक जुड़ने वाली संपर्क व्यवस्था का हिस्सा बनेगा, जिससे व्यापार, परिवहन, उद्योग और निवेश को नई गति मिलेगी।

दशकों पुराना यमुना जल विवाद खत्म! केंद्र ने कराया हरियाणा-राजस्थान में ऐतिहासिक पानी समझौता

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामयी मौजूदगी में कर्तव्य भवन में हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच पानी के कुशल और व्यवस्थित प्रबंधन के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि यह समझौता लंबी बातचीत का नतीजा है और इससे 1994 के पानी के बंटवारे के ढांचे को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पानी के सही इस्तेमाल के लिए राज्यों के बीच तालमेल ज़रूरी है।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राजस्थान के पानी के अधिकारों का सम्मान करता है और सहयोग के ज़रिए सही बंटवारे का समर्थन करता है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य केवल पानी का अपना तय हिस्सा मांग रहा है, और मॉनसून के अतिरिक्त पानी का बेहतर इस्तेमाल कई ज़िलों में पीने के पानी की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है।

समझौते में क्या कहा गया है?

नई व्यवस्था के तहत, राजस्थान को मॉनसून के मौसम में पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के ज़रिए ज़मीन के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन से हथिनीकुंड बैराज से पानी का अपना तय हिस्सा मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद राजस्थान के सूखा-प्रभावित इलाकों जैसे चूरू, सीकर और झुंझुनूं में पीने के पानी की लंबे समय तक और लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना है। यह समझौता 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) समझौते से जुड़ा है, जिसमें पहले से ही यह तय है कि बेसिन वाले राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कई सालों तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, जिससे बार-बार विवाद होते रहे।

विवाद क्या था?

मुख्य मुद्दा यह रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच नदी के पानी का बंटवारा कैसे हो। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। पंजाब भी रावी-ब्यास के पानी को लेकर एक अलग लेकिन संबंधित विवाद का हिस्सा रहा है, जो 1966 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के समय से चला आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान में चोरी के मामले की अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया, CBI-SIT जांच की मांग टली

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के मामले की जांच से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई (Urgent Hearing) करने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इस चरण पर तत्काल दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को अदालत की आगामी छुट्टियों के बाद एक नियमित पीठ (Regular Bench) के समक्ष विचार के लिए लिस्ट किया जाए। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान के कथित दुरुपयोग की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

इसमें मांग की गई थी कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) करे।

जल्द लिस्टिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि इस स्टेज पर मामले में तुरंत दखल देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा, ₹फिलहाल इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है।₹ इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि आगे विचार के लिए कोर्ट की छुट्टियों के बाद याचिका को रेगुलर बेंच के सामने लिस्ट किया जाए।

याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान के मैनेजमेंट में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोपों की जांच करने और मामले की निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की है। खास बात यह है कि राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मामले में सभी आठ आरोपियों को सोमवार को अयोध्या में करप्शन एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट में ज्यूडिशियल कस्टडी की कार्यवाही के लिए पेश किया जाना

राम मंदिर चोरी केस: अयोध्या में 8 आरोपियों को नहीं मिलेगा वकील

अयोध्या में राम मंदिर दान में कथित चोरी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने तय किया है कि उसका कोई भी सदस्य मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार आठ आरोपियों के लिए वकील के तौर पर पेश नहीं होगा। एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि जो वकील इस फैसले का उल्लंघन करेगा, उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला सोमवार को बार एसोसिएशन की आम बैठक में लिया गया, जिसमें सदस्यों ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे की कथित चोरी पर कड़ी नाराजगी जताई। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बैठक के दौरान, कई वकीलों ने यह भी मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव - जो सभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मैनेजमेंट से जुड़े हैं, लेकिन FIR में आरोपी नहीं बनाए गए हैं - उन्हें अयोध्या छोड़ देना चाहिए। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर ये तीनों लोग तीन दिनों के भीतर शहर नहीं छोड़ते हैं, तो वे अयोध्या को ब्लॉक करके और शहर में प्रवेश रोककर आंदोलन शुरू करेंगे। इस फैसले के बारे में बताते हुए बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी से हम सभी की भावनाएं आहत हुई

आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद लगाए देख रही : अनुराग ठाकुर

शिमला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व पर बात की और राज्य में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद लगाए देख रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, ऐसा नहीं है कि जब आप भगवान के चरणों में आते हैं, तो सिर्फ कुछ मांगने ही आते हैं। जाखू हनुमान मंदिर एक बहुत पुरानी जगह है। अगर आप इसके आस-पास के खूबसूरत नजारों को देखें, तो आपके अंदर अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का एहसास जाग उठता है। मेरा मानना है कि जो कोई भी शिमला आता है और जाखू मंदिर नहीं जाता, उसकी यात्रा एक तरह से अधूरी रह जाती है।

थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के लिए CBSE ने जारी की गाइडलाइन, छात्रों को मिली छूट

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने का दिशानिर्देश जारी की है। हालांकि, कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच पर यह नई नीति लागू नहीं होगी। इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी।

CBSE की नई गाइडलाइन के अनुसार, फिलहाल कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को 10वीं में जाने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देने की जरुरत नहीं होगी। लेकिन, जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं रखी हैं, वे उन्हीं भाषाओं के साथ-साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा भी पढ़ेंगे। बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया

को आसान और आकर्षक बनाया जाएगा। छात्रों को उनके क्लास के हिसाब से समयबद्ध तरीके से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

CBSE ने स्पष्ट किए नियम

2026-27 शैक्षणिक सत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा (R3) का मूल्यांकन केवल विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जब ये छात्र 2027-28 में 10वीं कक्षा में पहुंचेंगे, तब भाषा के लिए CBSE बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कक्षा सातवीं और आठवीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए भी नियम स्पष्ट कर दिए हैं। जब ये छात्र कक्षा नौवीं और दसवीं में जाएंगे, तो वे तीन भाषाओं का अध्ययन जारी रखेंगे, जिनमें से दो भारतीय भाषाएं होंगी। राहत वाली बात यह है कि 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्र जिसने पहले ही दो गैर-मातृभाषाओं का चयन कर लिया है, उन्हें सिर्फ एक भारतीय भाषा का चयन करना होगा और कक्षा 10 तक उस भाषा को रखना होगा। वर्तमान कक्षा 9 के बैच की तरह, तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा, और इसके लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। CBSE ने बताया कि NCERT द्वारा सभी 22 निर्धारित भारतीय भाषाओं के लिए कक्षा VI की विशेष पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन्हें मिलेगी छूट

CBSE ने तीन-भाषा नीति के तहत कुछ छूटों की भी घोषणा की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दी जाने वाली छूट और रियायतें मिलती रहेंगी। वहीं भारत के बाहर स्थित सीबीएसई स्कूलों को तीसरी भाषा के रूप में भारतीय मातृभाषा पढ़ाने से पूर्णतः छूट दी गई है। इसके अलावा भारत लौटने वाले विदेशी छात्रों को भी तीसरी भाषा के रूप में भारतीय मातृभाषा पढ़ने से छूट दी गई है।

अंतरिक्ष से लेकर युद्ध के मैदान तक... दुश्मनों को पलभर में तबाह कर देगी भारत की अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइल

नई दिल्ली, एजेंसी। 1982 में शुरू हुए 'एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम' (IGMDP) के बाद से भारत ने अपने मिसाइल भंडार में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने से लेकर युद्धक्षेत्र में टैंकों को तबाह करने वाली मिसाइलों की पूरी श्रृंखला मौजूद है।

दरअसल, हाल के मिसाइल परीक्षणों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय उपयोग के माध्यम से भारत ने लगातार अपनी मिसाइलों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। हर मिसाइल को अलग-अलग काम के लिए बनाया गया है।

वर्तमान में भारत की तीन आक्रामक

मिसाइलें सबसे अधिक चर्चा में रहीं- अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस। अमूमन इन तीनों का नाम एक साथ लिए जाता है, लेकिन तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अग्नि को परमाणु हमले रोकने के लिए बनाया गया है और ब्रह्मोस को तेज और सटीक पारंपरिक हमले के लिए बनाया गया है। वहीं, प्रलय को लड़ाई के मैदान में दुश्मन के रडार और एयरबेस तबाह करने के लिए बनाया गया है।

अग्नि

अग्नि मिसाइल भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। इसे दुश्मन पर दूर से ही हमला करने के लिए बनाया गया है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में छोटी और बड़ी दोनों तरह की मिसाइलें हैं। इसमें लगभग 700 किमी की अग्नि-I से लेकर 8,000 किमी से अधिक की अग्नि-V तक की मार क्षमता है। अग्नि मिसाइ जमीन से छोड़ी जाती है। यह परमाणु और सामान्य दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है।

सबसे नई और ताकतवर अग्नि-V मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवी) सहित भारी परमाणु पेलोड ले जा सकती है। यह एक सड़क-चालित, तीन-चरण वाली ठोस-ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है। 8,000 किमी से अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। अग्नि-V श्रृंखला युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि रणनीतिक प्रतिरोध के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ दुश्मन को डराने और हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए है।

प्रलय

प्रलय भारत की DRDO द्वारा बनाई गई लघु-श्रेणी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है और यह 350 से 1,000 किलोग्राम तक के वजन वाले वॉरहेड ले जा सकती है। यह अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को चकमा देकर पारंपरिक हमलों को अंजाम देने में माहिर है। यह कैनिस्टर में पैक रहती है, इसलिए जल्दी स्टोर और लॉन्च की जा सकती है।

प्रलय को दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर, एयरपोर्ट और रनवे को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आखिरी समय में हवा में दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें इसे रोक नहीं पातीं। चीन के डोंगफेंग-12 और रूस के इस्कंदर मिसाइल के तरह ही प्रलय को भारत ब्रह्मोस, निर्भय और पिनाका के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेगा। इसकी तैनाती से सेना को सटीक हमला करने की ताकत मिलेगी और बॉर्डर से सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी।

ब्रह्मोस

ब्रह्मोस बाकी दोनों मिसाइलों से बिल्कुल अलग है। यह बैलिस्टिक नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसकी गति 2.8 मैक से 3 मैक तक है और यह 300 से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति वाली परिचालन क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे जमीन, समुद्र या हवा से भी दागा जा सकता है। यहां तक कि इसे सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस का पहली बार उपयोग मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। इसमें ब्रह्मोस ने दुश्मन के बड़े ठिकानों को सटीक निशाना बनाया, जिससे पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय से हुए सवाल, अयोध्या बार एसोसिएशन का ऐलान- जो आरोपी का पक्ष लड़ा, उसपर 5 लाख का जुर्माना

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के सिलसिले में पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है। इस मामले में एक-एक करके लगभग 140 गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अगले गवाह अनिल मिश्रा और गोपाल राव होंगे। सूत्रों ने बताया कि चंपत राय से पूछताछ तो हो चुकी है, लेकिन अगर जांच के दौरान जरूरत पड़ी तो ट्रस्ट के दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारियों के बयान भी बाद में दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, "इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा और अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" रविवार को राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी की जांच में तेजी तब और आई जब पुलिस की

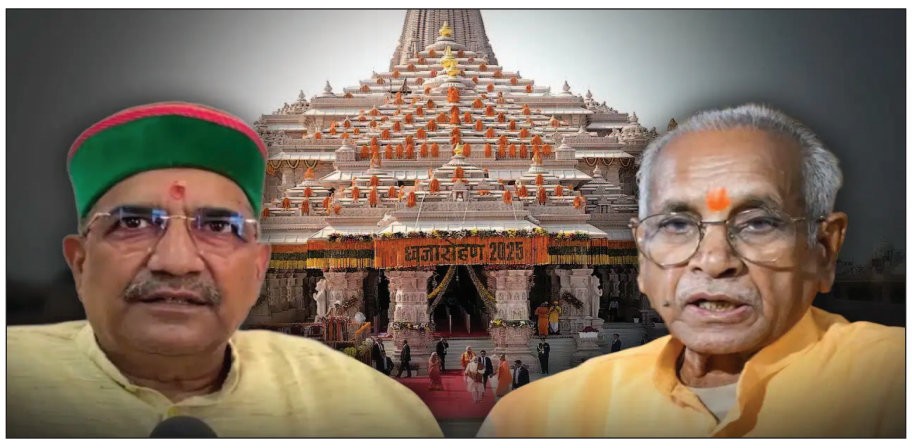

एक टीम अयोध्या में आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंची।

इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए, आरोपी के भाई अभिषेक शुक्ला ने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य मंदिर के फंड के गलत इस्तेमाल में शामिल पाया जाता है, तो परिवार उसका साथ नहीं देगा। इससे पहले, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हम श्री राम मंदिर के बारे में पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं से हैरान, आहत और बहुत दुखी हैं। हम निष्पक्ष जांच करने और भक्तों को भरोसा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

ट्रस्ट ने ये भी बताया कि उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल गए हैं। बयान में कहा गया, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल गए हैं। ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस मामले पर विचार करेगा।"

भक्तों को भरोसा दिलाते हुए ट्रस्ट ने कहा कि भगवान राम को भेंट के तौर पर भक्तों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई सभी कीमती चीजें, जिनमें चांदी की ईंटें और गहने शामिल हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब-किताब रखा गया है। ट्रस्ट ने कहा, "ट्रस्ट उन भक्तों को भरोसा दिलाता है जिन्होंने भगवान राम को भेंट करने के लिए ट्रस्ट के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से चांदी की ईंटें और गहने जैसी चीजें सौंपी थीं, कि ये चीजें सुरक्षित हैं और इनका पूरा हिसाब-किताब है।" ट्रस्ट ने आगे भरोसा जताया कि सच की जीत होगी। उन्होंने कहा, "अंधेरा आखिरकार छंट जाएगा और सच का प्रकाश चमकेगा। भगवान श्री राम की महिमा का अखंड प्रवाह हमेशा जारी रहेगा।"

चंपत राय, अनिल मिश्रा को 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की चेतावनी, वकील बोले– ऐसा नहीं हुआ तो पूरी रामनगरी जाम कर देंगे

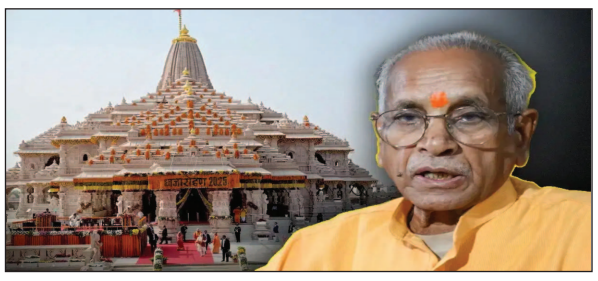

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला धीरे-धीरे और गरमाता ही जा रहा है। सोमवार को अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। इसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा और अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपियों का केस लेने वाले वकील की सदस्यता रद्द होगी। बार एसोसिएशन की बैठक में वकीलों ने मुखर होकर कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 दिन के अंदर नहीं छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। किसी को अयोध्या में आने नहीं दिया जाएगा। या है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का स्टेटमेंट अभी नहीं हुआ है। इनका भी जल्द होगा। एक-एक करके करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

चंदा चोरी केस में 8 नामजद आरोपी

इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 अभियुक्तों की रिमांड आज खत्म हो रही है। सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। इस दौरान पुलिस सभी अभियुक्तों की दोबारा रिमांड मांग सकती है। कल यानी रविवार को गिरफ्तार अभियुक्तों के घर छापेमारी की गई थी। इस दौरान पुलिस ने ज्वैलरी, कैश और प्रॉपर्टी के कागजात समेत कई चीजें बरामद किए। बता दें कि चंदा चोरी केस में 8 लोग नामजद आरोपी हैं।

जांच में खुल रही हैं कई नई परतें

बता दें कि इस मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश की नई परतें खुल रही हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे में हेरफेर केवल गिनती करने वालों के बूते संभव नहीं था। पुलिस और SIT की जांच में बैंक के दो कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नहीं बल्कि सक्रिय मिली है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंककर्मियों की मिलीभगत के बिना दानराशि की चोरी और रिकॉर्ड में हेरफेर लंबे समय तक संभव नहीं था। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

बारिश से पहले नाले की सफाई न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार, सुलतानपुर। विकास खंड कुड़वार के पूरे तिलक तिवारी गांव में बारिश से पहले नाले की सफाई न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। हरखपुर गांव से निकलकर पूरे तिलक तिवारी गांव तक दो दशक पहले क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित नाला आज झाड़ियों से पट गया है। लंबे समय से मरम्मत और सफाई न होने के कारण नाले की जल निकासी क्षमता प्रभावित हो गई है।

ग्रामीणों के अनुसार यह नाला हरखपुर और पूरे तिलक तिवारी गांव के सैकड़ों घरों से निकलने वाले वर्षा जल की निकासी का मुख्य साधन है। नाले में जगह-जगह झाड़ियां उग आने और गाद भर जाने से बरसात के दौरान जलभराव की आशंका बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नाले की सफाई नहीं कराई गई

तो बारिश में गांव के कई हिस्सों में पानी भर सकता है, जिससे आवागमन और जनजीवन प्रभावित होगा। ग्रामीण राजबहादुर तिवारी, राम अचल तिवारी और जुगल किशोर सहित अन्य लोगों ने खंड विकास अधिकारी से नाले की तत्काल सफाई और आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात शुरू होने से पहले नाले को साफ कराए जाने से जलभराव की समस्या से राहत मिल सकेगी।

मेडिकल कॉलेज में इलाज को लेकर बवाल

सुल्तानपुर। विद्युत विभाग के कर्मी आज स्वास्थ कर्मियों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। विद्युत विभाग के कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर नगर कोतवाली घेर ली है, बताया जाता है कि बीती रात डाकखाना जगन्नाथ संविदा कर्मी जगन्नाथ को हार्टअटैक की शिकायत हुई, जिसको लेकर वहां मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अचानक से मामला बिगड गया ।हमले में जगन्नाथ लाइनमैन के पुत्र के सिर में आठ टांके लगे ।परिजनों ने बताया कि डॉक्टरो ने मिलकर हमला कर दिया। आज नाराज विद्युत कर्मचारी नगर कोतवाली पाहुंच गए मामले को लेकर गहमा गहमी है। शुक्रवार को इमरजेंसी में भर्ती हार्टअटैक के मरीज के हाथ मे विगो लगाकर इंजेक्शन लगाना भूल गए थे स्वास्थ कर्मी। जिम्मेदार सिस्टर मोबाइल पर रील देखती रहीं जिसको लेकर परिजन आगबबूला हो गए। शुक्रवार को इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर भी असहाय दिखे थे।

छत पर सो रहे 13 वर्षीय किशोर को सांप ने डसा, अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र के नन्दौली गांव में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय अमन खान की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

जानकारी के अनुसार अमन रात में अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रहा था। देर रात करीब 2 बजे उसे अचानक अपनी पैंट के अंदर कुछ घुसने का एहसास हुआ। उसने हाथ डालकर उसे हटाने या पकड़ने की कोशिश की, तभी उसमें छिपे जहरीले सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। सांप के काटते ही अमन की हालत बिगड़ने लगी। परिजन घबराकर उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बल्दीराय लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में अमन ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार बल्दीराय गुलाब सिंह और हल्का लेखपाल कमलेश सरोज मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और शासन की ओर से मिलने वाली सहायता के संबंध में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मृतक अमन के परिवार की स्थिति पहले से ही कठिन है। परिवार में उसका 15 वर्षीय बड़ा भाई सैफ अहमद मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है, जबकि 17 वर्षीय बहन अक्सा भी घर में मौजूद है। अमन की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है।

नदी में मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार, सुलतानपुर। क्षेत्र के गोमती नदी में तिवारीपुर मठिया गांव के पास युवक का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस विधिक कार्यवाही में जुटी है। सोमवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के तिवारीपुर मठिया कुड़वार गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि नदी में एक 25 वर्षीय युवक का शव उतराता मिला है। सूचना पर पहुंचे उपनिरीक्षक अम्बरीष पाठक ने शव के शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने शव को निकलवाकर निरीक्षण किया। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी सौरभ सामंत ने भी शव का निरीक्षण किया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया शव तीन चार दिन पुराना लग रहा है। युवक केवल चड्डी पहना है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। देखने से यह प्रतीत हो रहा है युवक कही नदी में नहाने उतरा था।तभी गहरे पानी में जाने से डूब गया।शव शिनाख्त के लिए जिले के थानों सहित अगल बगल के जिलों के थानों को सूचना दी जा रही है। शव के शिनाख्त हो जाने पर या 72 घंटे बीत जाने पर पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया जाएगा।

विशाल हत्याकांड : 'मोबाइल पर सुनीं बेटे की चीखें, कुछ देर बाद...', भाई का दावा अफेयर नहीं इस कारण हुआ कत्ल

आर्यावर्त संवाददाता

सोनीपत/मेरठ। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो कि वह अपने बेटे की अंतिम चीखें मोबाइल पर सुने और कुछ देर बाद उसकी हत्या की खबर मिल जाए। मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के गांव खंदावली निवासी शिवकुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

शनिवार रात आई एक कॉल ने उसके परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। विशाल जो परिवार की उम्मीदों का सहारा था, अब दुनिया में नहीं है। शिवकुमार ने बताया, शनिवार रात उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। दूसरी ओर अनुज उर्फ तनुज बात कर रहा था। बातचीत के दौरान उन्हें अपने बेटे विशाल के रोने और दर्द से चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं।

पीछे से दो-तीन अन्य लोगों की आवाजें भी आ रही थीं जो कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया है और अब उसे उठाकर ले जाओ। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन रातोंरात राई पहुंचे जहां पता चला कि विशाल की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है।

खेत में बेरहमी से पीटने का आरोप

अतुल का आरोप है कि विशाल को गांव जठेड़ी से बाहर खेत में ले जाकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया। उसके भाई के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और तब तक मारपीट की गई जब तक उनकी मौत नहीं हो गई।

चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था विशाल

विशाल अपने परिवार में चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसकी दो बहन व एक भाई है। माता-पिता को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। वह नौकरी कर परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, एक वारदात ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

विशाल के बड़े भाई अतुल ने बताया कि जब विशाल नौकरी करने के लिए राई आया था तो शुरुआत में वह मेरे साथ किराए के मकान में रहता था। बाद में छोटी सी बात पर अनबन होने पर विशाल पड़ोस के ही दूसरे मकान में रहने लगा। हालांकि दोनों के बीच बातचीत और पारिवारिक संबंध सामान्य बने रहे।

हत्या के पीछे है पैसों का विवाद: अतुल

अतुल ने बताया कि हत्या के पीछे मुख्य कारण पैसों का विवाद है। आरोप है कि आरोपियों के साथ विशाल का रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। पैसे लौटाने से बचने के लिए महिला का नाम बीच में लाकर पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का रंग दिया गया और इसी बहाने विशाल को निशाना बनाया गया। परिवार का कहना था कि विशाल से करीब 40 हजार रुपये उधार लिए गए थे।

मेरठ के युवक की सोनीपत में हत्या

सोनीपत जनपद के गांव जठेड़ी में किराए पर रह रहे मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के गांव खंदावली निवासी विशाल (26) की प्रेम-प्रसंग के शक में लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। उसके पिता का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और वारदात के बाद कॉल कर कहा- तुम्हारे लड़के को खत्म कर दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सोनीपत के थाने राई में गांव खंदावली निवासी शिव कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें बताया कि कि बेटा विशाल राई क्षेत्र स्थित बेसन कंपनी में कार्यरत था। वह गांव जठेड़ी में किराए पर रहता था। उसके पड़ोस में ओमवीर भी परिवार के साथ किराए पर रहता है। दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे।

एक-दूसरे के घर आना-जाना भी था। उनका आरोप है कि मार्च से ओमवीर को अपनी पत्नी और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग होने का शक हुआ था। इसी बात को लेकर ओमवीर ने कॉल कर उन्हें बेटे विशाल को समझाने की बात कही थी और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह विशाल को जान से मार देगा। विशाल के पीड़ित पिता शिव कुमार ने बताया कि शनिवार रात मोबाइल पर कॉल आई थी। इसमें अनुज उर्फ तनुज बोल रहा था। उन्हें अपने बेटे विशाल की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थीं। आवाज आई कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया है और उसे उठाकर ले जाओ।

गेस्ट हाउस में कर्मचारी से मारपीट मामले में सपा सांसद के तीन समर्थक गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कोतवाली नगर स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) गेस्ट हाउस में कर्मचारी के साथ कथित मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने सपा सांसद राम भुआल निषाद के तीन समर्थकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसपी चारू निगम के निर्देश पर की गई।

जानकारी के अनुसार, घटना 27 जून को हुई जब अभियुक्तों ने गेस्ट हाउस के वीआईपी सूट नंबर-01 को खुलवाने के लिए कर्मचारी पर दबाव बनाया। कर्मचारी द्वारा नियमों का हवाला देते हुए सूट खोलने से इनकार करने पर आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और मारपीट कर राजकीय कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। मामले की सूचना मिलने के बाद 28 जून को संबंधित धाराओं में

मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता कर्मचारी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। मामले की जांच उप-निरीक्षक सुनील कुमार को सौंपी गई। पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान समन उर्फ अमन निषाद पुत्र दिग्पाल निषाद (निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सुलतानपुर), आलोक यादव पुत्र मनमोहन यादव (निवासी राघवपुर थाना धनपतगंज, जनपद सुलतानपुर) और दिलशाद अहमद पुत्र अख्तर अली (निवासी धौराहरा थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर) के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक ब्लैक स्कॉर्पियो (यूपी 32 पीटी 9698) और एक स्विफ्ट डिजायर (यूपी 42 एके 8090) भी बरामद की है। अभियुक्तों को पर्यावरण पार्क रोड से गिरफ्तार किया गया।

ब्राह्मण एकता परिषद ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

सुल्तानपुर। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने 'बिहार के लाल' कहे जाने वाले स्वर्गीय भरत तिवारी के एनकाउंटर प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष अंकुर पांडे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मामले में जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराकर तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की गौशालाओं की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि कई गौशालाओं में गौवंश को पर्याप्त चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे पशुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भीषण गर्मी में यमुना स्नान पड़ा भारी, दो घाटों पर डूबे नौ बच्चे, देवदूत बने नाविकों ने बचाई जान

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। वृंदावन में यमुना स्नान के दौरान दो घाटों पर नौ बालक अचानक नदी में डूबने लगे। बालकों की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय नाविक भी यमुना में कूद गए और दोनों ही घाटों से नौ बालकों को यमुना से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चार बालक श्रृंगारघाट पर डूबे तो पांच लोग भंवरघाट पर। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। भंवरघाट के ठीक होने के कारण अपने घर चले गए तो श्रृंगार घाट के बालकों को सौ शैय्या अस्पताल ले गए। जहां उपचार के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

वृंदावन के श्रृंगार घाट पर रविवार दोपहर को करीब 2:30 बजे बुर्जा निवासी आठ वर्षीय नीरज पुत्र ब्रजलाल, 10 वर्षीय दीपक और उसका भाई अज्जू पुत्र लोचन और सूरज पुत्र बबलू यमुना नदी में नहाने

के लिए उतरे। नहाते समय सभी अचानक यमुना में डूबने लगे तो दीपक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद नाविकों ने बालकों को डूबते देखा तो उन्होंने भी यमुना में छलांग लगा दी जिससे सभी को सुरक्षित बचा लिया गया।

कुछ देर बाद भंवर घाट पर पांच बच्चे पानी में डूब गए। पंजाब निवासी निशांत व दो अन्य तथा वृंदावन के रहने वाले शशांक और हर्ष यमुना में नहाने के दौरान डूबने लगे। नाविक अनु, श्रीकृष्ण, राजाराम, मोहर सिंह और मन्नू ने पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पंजाब निवासी निशांत ने बताया कि वह यहां एक आश्रम में रुके हुए हैं। भंवरघाट के मामले की पुलिस को जानकारी नहीं है, लेकिन नाविकों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है।

पीलीभीत में सीएम योगी ने विस्थापित परिवारों को दी बड़ी सौगात, सौंपे भूमि अधिकार प्रमाण पत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत के पतरासा कुंवरपुर गांव में 569.11 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही, 106 बंगाली समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र भी दिए गए। इस कदम से उन्हें देश के पूर्ण नागरिक होने का अधिकार मिला।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 55-56 वर्ष पहले बांग्लादेश से प्रताड़ित कर निकाले गए परिवारों को पीलीभीत में पुनर्वासित किया गया है। इन परिवारों को अब भारतीय नागरिकता भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि यह इन लोगों के लिए एक नया जीवन है। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद कोई भी ताकत इन्हें यहां से निकाल नहीं सकती। अब इन्हें कोई पराया नहीं कह सकता। इन परिवारों को अपनी विरासत संरक्षित करने का मंच मिल गया है।

कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का बंगाली परंपरा से स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय गंगवार, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा ने संबोधन के दौरान सीएम योगी से चीनी मिल, स्टेडियम और डिग्री कॉलेज की मांग की। बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन सुविधा मुहैया कराने पर सरकार की सराहना की।

जनसभा में पहुंचे हजारों लोग

सीएम योगी की जनसभा में सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और लाभार्थी जुटे। मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल पर चार स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नौ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और 34 ट्रैफिक कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा 118 एआईयू कर्मियों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक कंपनी पीएसी और 10 फायर टेंडर भी तैनात किए गए।

ऑपरेशन 'दहन' के तहत लखनऊ में 1.18 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त 344.8738 किलोग्राम मादक पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण कराया। ₹ऑपरेशन दहन₹ के अंतर्गत न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुपालन में लगभग 1.18 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप अधिकृत भस्मीकरण संयंत्र में नष्ट किया गया।यह कार्रवाई भारत सरकार के ₹नशा मुक्त भारत अभियान₹, गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ₹नशा मुक्त उत्तर प्रदेश₹ की परिकल्पना के अनुरूप की गई। जिला स्तरीय मादक पदार्थ निस्तारण समिति की निगरानी में गांजा, चरस, हेरोइन, मार्फीन, पोस्ता और डायजेपाम सहित विभिन्न मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया गया, जिससे इनके दोबारा अवैध उपयोग और तस्करी की संभावनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 319.650 किलोग्राम पोस्ता, 23.400 किलोग्राम गांजा, 1.1368 किलोग्राम हेरोइन एवं मार्फीन, 0.087 किलोग्राम डायजेपाम तथा 0.300 किलोग्राम चरस शामिल हैं। इनमें हेरोइन एवं मार्फीन की अनुमानित कीमत लगभग 1.13 करोड़ रुपये आंकी गई है।अभियान के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं नोडल अधिकारी किरन यादव, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध), मादक पदार्थ निस्तारण समिति के सदस्य, विधि विज्ञान विशेषज्ञ तथा संबंधित थानों के प्रभारी मौजूद रहे।

○ संक्षेप ○

पत्रकारपुरम चौराहे पर खाने की दुकान के बाहर मारपीट और फायरिंग, कर्मचारी घायल

लखनऊ। गोमतीनगर क्षेत्र स्थित पत्रकारपुरम चौराहे के पास एक खाने की दुकान पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें दुकान का एक कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य और खतरे से बाहर बताई है।पुलिस के अनुसार घटना 28 जून 2026 को पत्रकारपुरम चौराहे के निकट स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट पर हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग में बदल गई। फायरिंग के दौरान एक कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गया।घटना की सूचना मिलते ही थाना गोमतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना गोमतीनगर में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को मिला व्यापक जनसमर्थन, हरित सारथी पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी

लखनऊ। 76वें वन महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा संचालित 'वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 : एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को प्रदेशभर में उत्साहजनक जनसमर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत चलाए जा रहे डिजिटल जन-जागरूकता 'हरित सारथी अभियान' में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए हरित सारथी नेटवर्क एवं ऑनलाइन क्विज़ के पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 जून से बढ़ाकर अब 7 जुलाई 2026 कर दी गई है।मुख्य वन संरक्षक (प्रचार-प्रसार) कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान क्लाइमेट पर चर्चा के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 76 हरित सारथियों का चयन किया जाएगा। चयनित हरित सारथी अपने-अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे।विभाग के अनुसार अभियान को युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक 2,000 से अधिक लोग हरित सारथी नेटवर्क, ऑनलाइन क्विज़ और डिजिटल जन-जागरूकता गतिविधियों से जुड़ चुके हैं।

गोमती उद्गम स्थल बनेगा विश्वस्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र, 1.04 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्य धाम के विकास के बाद अब प्रदेश सरकार ने जीवनदायिनी गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्वस्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास हेतु 1.04 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। प्रथम चरण में 78 लाख रुपये की धनराशि भी जारी कर दी गई है।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटांडा क्षेत्र स्थित गोमत ताल (पूर्व नाम फुलहर झील) से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग को सिंचित करते हुए करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग इस स्थल को प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है।

यूपीकैटेट-2026 का परिणाम घोषित, 14,802 अभ्यर्थी सफल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (यूपीकैटेट-2026) का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विश्वविद्यालय के कुलपति एस.वी.एस. राजू की उपस्थिति में परीक्षा परिणाम जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए परीक्षा के पारदर्शी और समयबद्ध संचालन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और पूरी टीम की सराहना की।इस वर्ष यूपीकैटेट-2026 का आयोजन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों में 17 और 18 जून को कराया गया। स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 17 जून को 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई, जबकि 18 जून को परास्नातक (पीजी), पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 18 केंद्रों पर संपन्न कराई गई।परीक्षा के लिए कुल 18,827 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 16,349 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार परीक्षा में लगभग 90 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा परिणाम के अनुसार कुल 14,802 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों में 73 प्रतिशत पुरुष और 27 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी हैं।मेधा सूची में स्नातक स्तर पर मेरठ के कंकरखेड़ा की काव्य मसीह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कन्नौज की प्राची द्विवेदी दूसरे तथा रामपुर के मोहम्मद कैफ तीसरे स्थान पर रहे।परास्नातक स्तर पर बलिया के शिवम यादव ने प्रथम और उन्नाव की आस्था यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

लखनऊ में अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खुलवाता था और उन्हीं खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का लेन-देन कर आर्थिक लाभ अर्जित करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 79 चेकबुक, 77 एटीएम कार्ड, 29 सिम कार्ड, 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 कीपैड मोबाइल, तीन लैपटॉप, छह पीओएस मशीनें, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज, स्टांप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार एवं सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गिरोह का खुलासा किया।पुलिस के अनुसार 28 जून को सूचना मिली थी कि आवास विकास योजना स्थित लाइट हाउस परिसर के एक फ्लैट में कुछ लोग साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो चार लोग लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित करते मिले। मौके से सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर चालू बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद फर्जी कार्यालयों और कंपनियों का पंजीकरण कराकर उन्हीं के नाम से कॉर्पोरेट बैंक खाते संचालित किए जाते थे। साइबर ठगी से प्राप्त रकम इन खातों में जमा कराकर आगे विभिन्न खातों में भेजी जाती थी, जिससे गिरोह के सदस्य कमीशन प्राप्त करते थे।पुलिस ने इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 318(4), 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

मोहर्रम के दौरान छज्जा गिरने से दो की मौत मामले में दो भाई गिरफ्तार, लापरवाही का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। इटौंजा क्षेत्र के महोना कस्बे में मोहर्रम के दौरान मकान का छज्जा गिरने से दो बच्चों की मौत और 11 लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना अत्यधिक भार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुई, जिसके चलते आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले के सभी पहलुओं की गहन विवेचना जारी है।पुलिस के अनुसार 27 जून 2026 को इमरान पुत्र साजिद, निवासी काजीटोला, महोना की तहरीर पर थाना इटौंजा में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर आरोपी अपने मकान के सामने खड़े होकर श्रद्धालुओं को कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वितरित करने के बजाय मकान के छज्जे पर बैठकर वितरण कर रहे थे। इसी दौरान छज्जे पर अत्यधिक भार पड़ने से वह अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना इटौंजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना के दौरान नामजद दोनों आरोपियों की तलाश की। पुलिस ने 29 जून को थाना क्षेत्र से मेहराव उर्फ मेराज (28 वर्ष) और गुलजार अली (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महोना के पकरिया मोहल्ला, वार्ड संख्या-9 के निवासी हैं।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए बिना मकान के छज्जे पर लोगों को एकत्र कर कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वितरित किए।

हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के मामले में एक वर्ष से फरार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। कमिश्नरेट पुलिस के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महिगवां पुलिस ने हत्या के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के मामले में पिछले एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे उसके गांव के पास से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार थाना महिगवां में दर्ज मुकदमा संख्या 129/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 115(2), 352, 351(3), 191(2) तथा एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(5) के तहत वांछित आरोपी सुभाष पुत्र जमुना प्रसाद रावत, निवासी ग्राम खंतारी, थाना महिगवां को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की उम्र लगभग 19 वर्ष बताई गई है।पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले करीब एक वर्ष से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।

मोती महल पर नगर निगम की कार्रवाई, प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर 20 हजार रुपये का चालान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ ने सोमवार को जोन-1 के हजरतगंज वार्ड में 'आरम्भ 8.0' अभियान के तहत प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध विशेष जांच एवं जनजागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान नगर निगम की आईईसी टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर पॉलीथीन प्रतिबंध के अनुपालन और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान प्रसिद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान मोती महल में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई। जांच में परिसर में स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियां और गंदगी भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जोनल सेनेटरी ऑफिसर कुलदीपक और एसएफआई संजीव के निर्देशन में प्रतिष्ठान के विरुद्ध 20 हजार रुपये का चालान किया गया।अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक तथा प्रतिबंधित पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कपड़े और जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया।नगर निगम अधिकारियों ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, गीले और सूखे कचरे का पृथक संग्रहण करने तथा प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए।

डॉ. सूर्यकान्त सीओपीडी गाइडलाइन कमेटी के सदस्य बने

डॉ. सोनिया नित्यानंद, कुलपति केजीएमयू ने डॉ. सूर्यकान्त को दी बधाई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजिस प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सीओपीडी रोकथाम एवं प्रबंधन गाइडलाइन के विकास के लिए गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह (Technical Expert Group-TEG) का सदस्य नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार देश के विभिन्न प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों एवं विशेषज्ञ संगठनों के वरिष्ठ विशेषज्ञों को इस समूह में शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ समूह राष्ट्रीय स्तर पर सीओपीडी की रोकथाम, समय पर पहचान, उपचार एवं प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जिससे देशभर में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि सीओपीडी की बीमारी जिससे लगभग 6 करोड़ लोग पीड़ति है तथा प्रति वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह भारत में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सीओपीडी भारत में बढ़ती हुई एक गंभीर श्वसन बीमारी है, जिसके प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय दिशा-निर्देश अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह गाइडलाइन देश में सीओपीडी रोगियों के उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा रोग के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि धूम्रपान सी.ओ.पी.डी. का प्रमुख जोखिम कारक है, किन्तु बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, इसके मुख्य कारणों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा भोजन बनाने में उपयोग होने वाले उपले, लकड़ी, अंगीठी, मिट्टी के चूल्हे के द्वारा निकलने वाले धुएं से भी यह बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही भारत में विभिन्न व्यवसायों में धूल, धुआँ व गर्दा रहता है जिसके कारण भी सीओपीडी बढ़ रही है। ज्ञात रहे कि सीओपीडी विषय पर डॉ. सूर्यकान्त की एक पुस्तक भी है तथा वे उ० प्र० के सरकारी चिकित्सकों के लिए सीओपीडी व अस्थमा के लिए ट्रेनिंग मॉडयूल भी बना चुके है तथा उ० प्र० के चिकित्सकों एवं देश के हजारों चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। वे देश में श्वसन रोगों की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थाओं, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन्श तथा इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड एप्लाइड इम्यूनोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने डॉ. सूर्यकान्त को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। यह उपलब्धि डॉ. सूर्यकान्त की विशेषज्ञता, समर्पण एवं श्वसन रोगों के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस विशेषज्ञ समूह में शामिल होना केजीएमयू तथा उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बोलेरो, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में वाहन सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया।पुलिस के अनुसार सोमवार को थाना काकोरी क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 297.300 पर बोलेरो (वाहन संख्या पीबी-10-केजी-3252) के पलटने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।प्रारंभिक जांच में पता चला कि बोलेरो चालक अमन, पुत्र नरेंद्र पाल सिंह, वाहन चला रहा था। सफर के दौरान उसे अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया।

घर में घुसकर महिला समेत बच्चों को पीटा, चाकू से किए कई वार, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गुडंबा के आदिलनगर में घर में घुसकर जरीना और उनके बच्चों के साथ मारपीट व चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर गुडंबा पुलिस ने सात नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जरीना के अनुसार, 28 जून की शाम करीब 8:30 बजे वह अपने घर पर बैठी थीं।

आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते रईस, बिट्टो, नगमा, शकीला, अफसाना, मन्नू, नाटू और उनके तीन अज्ञात साथी जबरन उनके घर में घुस आए और उन्हें व उनके बच्चों को मारने-पीटने लगे। आरोप है कि रईस ने चाकू से हमला किया, जिससे उनके सिर में चोट आई, जबकि बच्चों को भी चोटें आईं। आरोपी मारपीट करते हुए उन्हें और उनके बच्चों को घर से खींचकर ले जाने लगे। इसी दौरान बिट्टो घर से चाकू लेकर आई, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने चाकू छीनकर बाहर फेंक दिया। पीड़िता का कहना है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि रईस कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है और आए दिन जान से मारने की धमकी देता है, जिससे उनके पूरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

कानून का चकमा देने का अनैतिक खेल है दल बदल

अरस्तू का मानना था कि राजनीति और नैतिकता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ या भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती है, तो समाज का नैतिक पतन होता है, जो लोकतंत्र के मूल उद्देश्य—'सामान्य कल्याण' को कमजोर कर देता है। देश में विपक्षी दलों के सांसदों में मची भगदड़ से अरस्तू का यह कथन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। सांसदों का एक दल से दूसरे दल में जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है; यह उस गहरी प्रवृत्ति का संकेत है जिसे संस्थागत अवसरवाद कहा जा सकता है। आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता—तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं। शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दोफाड़ हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को भी मूल शिवसेना का दर्जा मिल गया। तब उद्धव ठाकरे ने अपने गुट का नाम शिवसेना यूबीटी रख लिया।

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी पार्टी तोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। एनसीपीआई एनडीए की एक बेहद छोटी पार्टी है। शिवसेना यूबीटी में टूट का सीधा फायदा केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को मिलने वाला है। इससे एनडीए का संख्या बल और बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के जुगाड़ में लगी है ताकि आने वाले दिनों में वह कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा सके। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोकसभा में एनडीए का कुनबा 320 के करीब पहुंच गया है। सांसदों और विधायकों की ऐसी ही टूटफूट से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने ममता से विद्रोह कर दिया था। ममता बनर्जी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बागी होने की घोषणा कर दी। टीएमसी के पास लोकसभा की 28 सीटें होने के कारण, बागी गुट को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जिसकी न लोकसभा और न ही विधनसाभा, कहीं पर भी एक सीट तक नहीं है, उस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने विलय कर लिया है। इस कदम को दल-बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अहम माना जा रहा है। विगत महीनों में गैरभाजपा दलों में विधायकों—सांसदों के विद्रोह की शुरुआत अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से हुई थी। आम आदमी पार्टी के सात राज्य सभा सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस फैसले के बाद उच्च सदन में आप की ताकत घटकर सिर्फ तीन सांसदों तक रह गई है। राज्यसभा में की ताकत बढ़कर 113 पहुंची वहीं, इस बदलाव से भाजपा को सीधा फायदा हुआ है और उसकी संख्या राज्यसभा में बढ़कर 113 पहुंच गई है। इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 148 पहुंच गया। वहीं, जिन सात सांसदों का भाजपा में विलय हुआ है, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या विधायकों का एक गुट खुद विलय की घोषणा कर सकता है, या जिस राजनीतिक दल का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे सहमत होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अभी फैसला लेना है। भारत का दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से पेश किया गया था। यह 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के जरिए लागू हुआ। यह 'आया राम, गया राम' की राजनीति की घटना की प्रतिक्रिया थी, जिसमें सरकारें गिराने या खुद की उन्नति हासिल करने के लिए विधायक/सांसद मध्यावधि में दल बदल लेते हैं। बता दें कि दसवीं अनुसूची के तहत, कोई भी विधायक जो स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायकों के मामले में अपना निर्णय समाज विज्ञान के सम्मानित प्रोफेसर आंद्रे बेताई के इन शब्दों से शुरू किया था। कोर्ट ने लिखा, 'हमारे संविधान निर्माताओं ने लोगों को सांविधानिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन प्रश्न है कि हम अपने इस कर्तव्य को निभाने में कितने सफल हुए? लोकतंत्र और सांविधानिक जिम्मेदारियों को कितना निभा सके?' कोर्ट ने कहा, मतभेद और दलबदल ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इन्हें अलग साबित करके ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य लोकतांत्रिक विचारों के साथ संतुलित रखा जा सकता है।

स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है

ललित गर्ग

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है, जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विवेक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिक मुखर हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन, हिंसक प्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं।

हाल ही में भारत के हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बेसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि समाज की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु-सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश-द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनेक युवा रातों-रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रोल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। परिवारों में संवाद कम हुआ है और डिजिटल निकटता के बावजूद भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं। बच्चे खेल के मैदानों से दूर होकर आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं। विशेषतः 'स्मार्टफोन एक दुधारी तलवार है'। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, पहचान की चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराधों में एआई का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। स्मार्टफोन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बन गया है। एक साधारण मोबाइल फोन के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति एआई आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग कर नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सकता है, भ्रामक सूचनाएं फैला सकता है या साइबर अपराधों को अंजाम दे सकता है। विशेष रूप से किशोर और युवा, जिनके पास तकनीकी कौशल तो है लेकिन नैतिक प्रशिक्षण और परिपक्वता का अभाव है, वे अनजाने में अथवा त्वरित लाभ की लालसा में ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि एआई और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डिजिटल नैतिकता, मानवीय मूल्यों और कानूनी जिम्मेदारियों का भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि तकनीक मानवता के विकास का साधन बने, विनाश का नहीं। इस संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है-'विज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है, जबकि विवेक के साथ वही विज्ञान मानवता का वरदान बन जाता है।' ऐसी स्थिति में भारत में भी व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यदि भारत को विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, तो उसे तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। भारत द्वारा निर्मित नीतियां न केवल देश, बल्कि विश्व के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती हैं। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं-पहला, बच्चों और किशोरों के लिए स्मार्टफोन उपयोग की आयु-सीमा और समय-सीमा निर्धारित की जाए। एक निश्चित आयु तक बच्चों को केवल आवश्यक और नियंत्रित डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दूसरा, स्कूलों में साइबर साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं, बल्कि उसके दुष्परिणामों और कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को डिजिटल पैरेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों को मोबाइल थमाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होती-उन्हें मार्गदर्शन, संवाद और संस्कार भी देने होंगे। चौथा, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हानिकारक और अश्लील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण, आयु सत्यापन और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

टिप्पणी

देश में आक्रोश

फारस की खाड़ी की नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद अमेरिकी नौ सेना ने चीन या रूस से संबंधित किसी टैंकर पर हमला नहीं किया है। क्यों? क्या वह उन देशों को मजबूत और भारत को कमजोर मानता है?

ओमान की खाड़ी में तीन विदेशी झंडे वाले वाणिज्यिक टैंकरों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मौत पर उचित ही देश में आक्रोश फैला है। इन घटनाओं पर देशवासियों का व्यग्र होना भी स्वाभाविक है। बेशक, ये घटनाएं नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की एक दुखद टिप्पणी हैं। अजीब विडंबना है कि अमेरिका और भारत खुद को 'प्रमुख रक्षा भागीदार बताते हैं। इसके बावजूद अमेरिकी नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय जल-क्षेत्र में वाणिज्यिक टैंकरों पर मिसाइल दाग कर भारतीय नाविकों की जान ले ली।

यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी नौसेना का तीनी विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक टैंकरों के चालक दल से सीधा संपर्क था। यानी हमला शुरू करने से पहले उसे मालूम था कि चालक दल के सदस्य भारतीय हैं। मगर अमेरिकी नौसेना ने भारतीयों की जान और भारतवासियों की भावनाओं की तनिक परवाह नहीं की। उचित ही इस क्रम में पिछले मार्च में हुई उस घटना का उल्लेख हुआ है, जब अमेरिकी नौसेना ने भारतीय तट के करीब ही एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया था। वह ईरानी जहाज भारत के आमंत्रण पर भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने आया था। गैर-लड़ाकू स्थिति में आए उस जहाज के लौटते वक्त अंतरराष्ट्रीय कायदों और आम नैतिकता को ठेंगे पर रखते हुए अमेरिका ने उसे डुबोया।

उस घटना पर भारत सरकार की चुप्पी चर्चा का विषय बनी थी। अगर भारत ने उस समय पुरजोर विरोध जताया होता, तो ये संभव था कि ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को निशाना बनाने की बेपरवाह कार्रवाई करने से पहले अमेरिकी नौ सेना को कई बार सोचना पड़ता। यह भी गौरतलब है कि अमेरिका कच्चे तेल का परिवहन करने वाले जिन जहाजों को 'शैडो फ्लीट बताता है, उनमें से अनेक चीन और रूस से भी जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून में बिना किसी आधार के पिछले 13 अप्रैल को डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने होरमुज जलडमरुमद्य की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू की थी। इसके बावजूद अमेरिकी सेना ने सीधे चीन या रूस से संबंधित किसी टैंकर पर हमला नहीं किया है। क्यों? क्या वह उन देशों को मजबूत और भारत को कमजोर मानता है?

ब्लॉग

नया भारत संदेह से भरोसे की ओर और डर से आजादी की ओर बढ़ रहा है

पीयूष गोयल

दशकों तक, भारत की नियामक प्रणाली नागरिकों को गहरे अविश्वास की नज़र से देखती थी। नागरिकों को मामूली, प्रक्रियात्मक गलतियों या किसी अधिकारी के केवल शक के आधार पर अपराधी मान लिया जाता था। एक सुखद बदलाव के तौर पर, मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए भरोसे और सहानुभूति पर आधारित नीतियां बनाई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ कम करना हो, डिजिटलीकरण हो, या एकल-खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना रहा है।

प्रधानमंत्री का विश्वास और सहानुभूति पर आधारित शासन का मंत्र स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है।

नागरिक-अनुकूल - एक नागरिक-अनुकूल नियामक वातावरण बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता है: दंड से पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित और पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे।

यह नियामक दृष्टिकोण, अनुपालन और लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भारत की 21वीं सदी की आकांक्षाएँ औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं।

इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रावधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है।

यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है, पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है, पुराने औपनिवेशिक काल के अप्रचलित

अपराधों को ख़त्म करता है और आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है।

स्वागत योग्य बदलाव – पहले, किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मौजूद होने पर किसी व्यक्ति को तीन महीने की जेल हो सकती थी, यदि वह 'संतोषजनक स्पष्टीकरण' नहीं दे पाया हो। यह औपनिवेशिक काल के शक पर आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें सामान्य आवाजाही को भी संभावित अपराध माना जाता था। यह सुधार इस अपराध को पूरी तरह समाप्त कर देता है और कानून को आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है।

पिछली व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त हो गयी है, तो अगले ही दिन सड़क पर गाड़ी चलाने पर उस पर आपराधिक आरोप लग जाते थे। नए कानून में 30 दिन की छूट अवधि दी गई है।

एक छोटे निर्माता का उदाहरण लें, जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन नहीं कर पाता है। पहले यह एक आपराधिक चूक थी, लेकिन अब केवल नियमों की बार-बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

इसी तरह, पहले किसी खनन कंपनी की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में हुई चूक के कारण जेल की सज़ा तक हो सकती थी। आज, ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना लगता है। गैरकानूनी खनन, धोखाधड़ी, जानबूझकर नुकसान और सार्वजनिक हित के गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी अभी भी मौजूद है; लेकिन कागज़ी कार्रवाई की कमियों के लिए नहीं।

सभी के लिए 12 साल का लाभ – 'जन विश्वास' कानून, सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की पीएम मोदी के प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर देश-सेवा के 12 सालों में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह पीएम मोदी का प्रमुख मिशन रहा है।

जन विश्वास 2026 एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है। भारत ने 2023 में पहले जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमज़ोर किए बिना गैर-अपराधीकरण से शासन में सुधार किया जा सकता है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ा देता है, जो यह संकेत देता है कि यह कोई एक बार की पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में लगातार चलने वाली पहल है।

बड़ा मिशन - नया कानून असल में पीएम मोदी के उस बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मिशन में, पीएम ने हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने की कोशिश की है और यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। यह कांग्रेस के शासनकाल से बिलकुल अलग है, जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए धन का सिफ़र् 15त्न ही वास्तव में गरीबों तक पहुँचता है।

कम गंभीरता वाले आपराधिक प्रावधानों की जगह प्रशासनिक और मौद्रिक व्यवस्थाएँ लाना, न सिर्फ आम नागरिक के लिए स्वागतयोग्य कदम है, बल्कि यह छोटे व्यवसायों की भी मदद करता है। इससे लागू करने वाली एजेंसियां रोज़मर्रा की तकनीकी गलतियों के बजाय गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अदालतें उन मामलों पर ध्यान दे सकती हैं, जिनमें सचमुच न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था और निवेश - इसके फायदे सिफ़र् शासन तक ही सीमित नहीं हैं। तेज़ी से प्रतिस्पर्धी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में, नियमों की विश्वसनीयता मायने रखती है। वर्षों तक, तकनीकी चूक के लिए आपराधिक मुक़दमे के डर को निवेश के सबसे बड़े रुकावटों में से एक माना जाता था। भारत में 2014 से 2025 के बीच एफडीआई में 143 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और एफडीआई बढ़ने का यह रुझान जारी है। इस विकास में नियामक सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'जन विश्वास 2026' का उद्देश्य भारत को निवेश और कारोबार के लिए ज़्यादा भरोसेमंद और अनुमान लगाने योग्य गंतव्य बनाकर इस रफ़्तार को और तेज करना है।

इस सुधार से न्याय प्रणाली को भी राहत मिलेगी। 5.5 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामलों—जिनमें ज़िला और निचली अदालतों के लगभग 4.9 करोड़ मामले शामिल हैं— में से कई छोटे-मोटे नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं, जिन्हें अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों को प्रशासनिक निर्णय के लिए भेजना सिफ़र् एक कारोबारी सुधार नहीं है, बल्कि एक न्यायिक सुधार भी है; इससे अदालतों को अपने सीमित समय और संसाधनों को गंभीर विवादों और न्याय से जुड़े अहम सवालों पर केंद्रित करने का मौका मिलता है।

गंभीर उल्लंघनों के लिए सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ सख़्ती ज़रूरी है, वहाँ कानून पूरी तरह सख़्त बना रहेगा। बदलाव सिर्फ दृष्टिकोण में आया है। शासन अब संदेह से विश्वास, अभियोजन से सुधार और डर से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है।

लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा, शाहजहांपुर दौरे से पहले सहनी हाउस अरेस्ट

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है, जिसको लेकर तमाम सियासी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बिहार में मल्लाह और निषाद समाज की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी अब यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं।

खुद को "सन ऑफ मल्लाह" कहने वाले सहनी पिछले कुछ महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और अन्य नदी किनारे रहने वाले समुदायों को संगठित करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनके इस अभियान के बीच लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके कार्यक्रम पर रोक लगा दी है।

इस बार मुकेश सहनी को शाहजहांपुर जाने से पहले ही लखनऊ में रोक दिया गया। VIP का आरोप है कि उन्हें लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर दिया गया और शाहजहांपुर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सहनी वहां 'उत्तर प्रदेश संवाद एवं रात्रि प्रवास' कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इसके साथ ही हाल के दिनों में हुई कुछ हत्याओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाना भी उनके कार्यक्रम का हिस्सा था।

निगरानी रखने का निर्देश

पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने आशंका जताई कि सहनी के दौरे से कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसी आधार पर उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

मुकेश सहनी का यूपी सरकार पर हमला

कार्रवाई के बाद मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाने से रोकना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे "अघोषित आपातकाल" बताते हुए कहा कि सरकार जनता की आवाज और विपक्ष की गतिविधियों से डर रही है। सहनी ने कहा कि अगर किसी नेता को अपने तय कार्यक्रम में जाने से रोका जाता है, तो यह साफ संकेत है कि सरकार संवाद से भाग रही है।

'आंदोलन रुकने वाला नहीं है...'

उन्होंने आरोप लगाया कि निषाद समाज के हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उनके अनुसार, निषाद समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और सम्मान की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेगा।

पहले भी हुई कार्रवाई

यह लगातार दूसरी घटना है जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इससे दो दिन पहले उन्हें अंबेडकर नगर में भी हिरासत में ले लिया गया था। उस समय वो जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में मल्लाह और निषाद समाज के बीच लगातार बढ़ती सक्रियता के कारण मुकेश सहनी का राजनीतिक अभियान चर्चा में है। ऐसे में लगातार दो बार उनके कार्यक्रमों पर रोक लगने से उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है, जबकि VIP इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और राजनीतिक दमन बता रही है।

कड़ी निगरानी के साथ हुई कैट परीक्षा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सोमवार को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा तीन पालियों में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित की गई। परीक्षा का निरीक्षण कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह में स्वयं किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे सुचिता के साथ परीक्षा कराई जाए।परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर मिथिलेश सिंह के अनुसार प्रथम पाली (प्रातः 9 बजे से 11 बजे) में डी. फार्मा एवं बीटेक के सभी शाखाओं की परीक्षा हुई। डी. फार्मा में पंजीकृत 224 अभ्यर्थियों में से 172 ने परीक्षा दी, जबकि 52 अनुपस्थित रहे। वहीं बीटेक की सभी शाखाओं में पंजीकृत 375 अभ्यर्थियों में से 293 ने परीक्षा में भाग लिया तथा 82 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली (दोपहर 12 बजे से 2 बजे) में बीसीए की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसमें पंजीकृत 481 अभ्यर्थियों में से 406 उपस्थित हुए, जबकि 75 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।तृतीय पाली (अपराह्न 3 बजे से 5 बजे) में बीए एलएलबी एवं बीबीए की परीक्षा संपन्न हुई। बीए एलएलबी में 387 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 307 ने परीक्षा दी तथा 80 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं बीबीए में 180 अभ्यर्थियों में से 158 ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 22 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

द्वारपूजा के समय गायब मासूम का शव मिला

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के धनेजा गांव में शादी समारोह में शामिल होने आयी साढ़े चार वर्षीय मासूम रविवार की रात को अचानक से द्वारपूजा के समय लापता हो गयी। उसके लापता होने की जानकारी होने पर माँ उसे ढूढंने लगी।उसके बाद अन्य लोग भी खोजबीन करने लगे परन्तु रात में उसका कुछ पता नही चल पाया।सोमवार को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी गयी।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के लोगों के साथ खोजबीन शुरू किया। मासूम का शव सई नदी के किनारे धनेजा घाट के पास सरपत के झुरमुट में मिला। धनेजा गांव निवासी बाबूराम निषाद की पुत्री खूशबू की शादी रविवार को थी। शादी समारोह में जफराबाद कस्बे के काजी अहमदनूर (नावघाट)मोहल्ले की निवासी पिंकी निषाद पत्नी सत्तन निषाद अपनी चार वर्षीय बेटी लक्ष्मी उर्फ लाडो के साथ आयी थी।पिंकी वहां अपने मौसी के घर आई थी।बारात आने के बाद द्वारपूजा का कार्यक्रम हो रहा था।खुटहन के पिलकिछा से बारात आयी थी।साढ़े 10 बजे द्वारपूजा के समय ही अन्य रश्मे भी चल रही थी। लाडो भी बारात में खेल रही थी। माता पिंकी भी रश्मों में शामिल हो रही थी। अचानक द्वारपूजा खत्म होने के बाद लाडो दिखाई नही दे रही थी। तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शूरू कर दी। परन्तु वह कहीं नही मिली।परिजन एक तरफ बारातियों के स्वागत व खाने पीने की व्यवस्था में लगे थे।कुछ लोग लाडो को ढूंढ रहे थे।लेकिन रात में उसका पता नही चल पाया ।सोमवार की सुबह पुलिस को सूचना दी गयी। सोमवार की सुबह से पुलिस लक्ष्मी उर्फ लाडो की खोजबीन कर ही रही थी कि उसी समय उक्त स्थान पर लक्ष्मी का शव मिलने से क्षेत्र से सनसनी फैल गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।माता पिंकी निषाद और सत्तन निषाद अपनी बेटी के साथ किसी दुराचार के बाद हत्या की आशंका जाहिर कर रहे है।हालांकि पुलिस हर एंगल से घटना की छानबीन कर रही है। सुबह जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव,एसडीएम सदर योगिता सिंह,सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता,सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा,थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे।

गो-तस्कर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और एक कथित गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष यजुवेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ समोधपुर मार्ग स्थित कम्परपुर पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक पलट गई, जिसके बाद वह पैदल भागते हुए पुलिस टीम पर कथित तौर पर तमंचे से दो फायर कर दिए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई।घायल आरोपी की पहचान पंकज यादव (35) निवासी सारी बड़ौना, थाना सरपतहां के रूप में हुई। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुइथाकला भेजा गया।

नोएडा की सोसाइटी में एसी फटने से लगी भीषण आग, चीखते-चिल्लाते दिखे लोग

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा की एक सोसाइटी में एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। घटना नोएडा के सेक्टर-119 स्थित द अरण्य (The Aranya) सोसाइटी की है। यहां सोसाइटी के 21वें फ्लोर पर मौजूद एक फ्लैट में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लोगों की चीखने की आवाजें आने लगीं। नीचे खड़े लोग भी आवाज लगाकर लोगों को निकलने के लिए कहते दिखे।

आग की ऊंची लपेट और आसमान में उड़ता काला धुंआ देखकर सोसाइटी के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह एसी (AC) में विस्फोट होना बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप

मच गया और इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

नोएडा पुलिस के अनुसार, सोमवार की सुबह अरण्य सोसाइटी की 21वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) गौतमबुद्ध नगर और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति फंसा नहीं है और किसी तरह की जनहानि की सूचना भी नहीं है।

क्या बोले फायर अधिकारी?

फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह एसी में तकनीकी खराबी या शार्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। फ्लैट में हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। मुख्य अग्नि मिशन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि सेक्टर 119 स्थित अरण्या सोसायटी के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। दमकल की टीमें तत्काल मौके पर भेजी गई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में ऐसी में तकनीकी खराबी या शार्ट सर्किट की आशंका है। विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का सटीक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

दो भाइयों पर फायरिंग, एक की हालत गंभीर

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। केराकत कोतवाली क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में सोमवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने डेयरी पर दूध देने गए दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि करीब 9-10 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने दोनों भाइयों को पहले लाठी-डंडों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और करीब 400 मीटर तक खदेड़ा। इसके बाद घायल होकर गिरने पर फायरिंग कर दी। घटना में एक भाई के हाथ में तीन गोलियां लगी हैं, जबकि दूसरे के सिर में गंभीर चोट आई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। सिझवारा गांव निवासी बुद्धिराम और उनके भाई सुधीराम सोमवार सुबह करीब 10 बजे डेयरी पर दूध देने परमानंदपुर पहुंचे थे। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों भाई भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने करीब 400 मीटर तक उनका पीछा करते हुए मारपीट की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब बुद्धिराम लहूलुहान होकर गिर पड़े, तब हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग में बुद्धिराम के दाहिने हाथ में तीन गोलियां लगी हैं, जबकि सुधीराम के सिर में गंभीर चोट आई है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। परिजन दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दो दिन पहले बुद्धिराम के पुत्र विकास राजभर के साथ भी दबंगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया था।

इस फर्जी आईएएस हसीना ने तो हद ही पार कर दी, दुल्हन बनते ही दूल्हे को कर गई 'कंगाल', फिर भी खत्म नहीं हुआ लालच तो...

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। मामला सामने आया है। यहां एक शातिर दुल्हन ने खुद को आईएएस (IAS) चयनित बताकर एक युवक से शादी रचाई। शादी के बाद वो लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर समेट कर रफूचक्कर हो गई और बाद में ससुराल वालों पर करोड़ों की जमीन बेचने का दबाव बनाने लगी। हद तो तब हो गई जब मांग पूरी न होने पर दुल्हन ने अपने ही पति का गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन और उसके पिता समेत चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पचौमी का है। यहां के रहने वाले पीड़ित युवक अभिषेक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी शादी 7 फरवरी 2025 को बदायूं जिले के बिल्सी क्षेत्र के गांव सतेती पट्टी इंछा की रहने

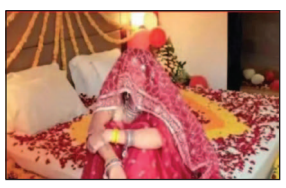

वाली साधना के साथ हुई थी।

अभिषेक का आरोप है कि शादी से पहले साधना के पिता नरेंद्र पाल सिंह और उसके भाई सूर्य प्रताप ने उनके परिवार को एक बड़ा झूठ परोसा था। उन्होंने दावा किया था कि साधना ने देश की सबसे प्रतिष्ठित आईएएस (आईएएस) परीक्षा पास कर ली है। नियुक्ति (जॉइनिंग) में हो रही देरी के पीछे उन्होंने बहाना बनाया कि कोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण जॉइनिंग रुकी हुई है और जैसे ही अदालती फैसला आएगा, साधना अफसर बन जाएगी। अभिषेक के परिवार ने इस रसूखदार रिश्ते के झांसे में आकर शादी के लिए तुरंत हां कर दी। तिलक के 4 लाख वापस लिए, किश्तों पर उठवाई बोलेरो गाड़ी

धोखाधड़ी का सिलसिला शादी के रस्मों-रिवाजों से ही शुरू हो गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शादी के दौरान तिलक समारोह में जो 4 लाख रुपये दिए गए थे, लड़की पक्ष ने वह रकम यह कहकर वापस ले ली कि वे इसे शादी के खर्च में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद उन्होंने लड़के के परिवार को झांसा देकर अपने लिए एक बोलेरो गाड़ी किश्तों (EMIs) पर भी दिलवा दी।शादी के कुछ समय बाद ही 'अफसर' दुल्हन के तेवर पूरी तरह बदल गए। आरोप है कि साधना घर में रखे करीब 15 तोला सोने के आभूषण, डेढ़ किलो चांदी, सोने की चेन, अंगूठी और अन्य कीमती जेवर समेटकर अपने मायके चली गई। इसके बाद उसने अभिषेक और उसके माता-पिता पर मानसिक और आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया।

20 बीघा जमीन बेचने का बनाया दबाव, कहा- 'हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर खोलना है'

जेवर हड़पने के बाद साधना की नजर अब ससुराल की पुश्तैनी संपत्ति पर थी। उसने बदायूं में एक महंगा प्लॉट खरीदने की जिद पकड़ ली। इसके लिए वह अभिषेक पर फरीदपुर तहसील क्षेत्र में स्थित उसकी करीब 20 बीघा कीमती जमीन को बेचने का भारी दबाव बनाने लगी। साधना का कहना था कि इस जमीन को बेचकर जो करोड़ों रुपये आएंगे, उससे वह एक बड़ा अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुलवाना चाहती है। जब अभिषेक और उसके सीधे-साधे परिवार ने पुश्तैनी जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो घर में रोज-रोज का क्लेश और विवाद चरम पर पहुंच गया।

मार्च 2026 में रची खौफनाक साजिश: अकेले पाकर दबाया पति का गला

जमीन न मिलने से बौखलाई साधना ने इसके बाद खूनी रास्ता अख्तियार कर लिया। अभिषेक ने तहरीर में आरोप लगाया कि मार्च 2026 में जब वह घर पर बिल्कुल अकेले थे, तभी साधना ने अचानक उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से उनका गला दबाने लगी। दम घुटने के कारण जब अभिषेक ने शोर मचाया, तो आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और पड़ोसी मौके पर दौड़ पड़े। भीड़ को आता देख साधना पीछे हटी और अभिषेक की जान बाल-बाल बची। पीड़ित ने तुरंत आपातकालीन नंबर डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुलाया।

पहले से दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद जब पुलिस ने मामले की बैकग्राउंड चेकिंग की, तो एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि खुद को आईएएस बताने वाली साधना का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ बदायूं जिले में पहले से ही आईटी एक्ट (IT Act) समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल, फरीदपुर थाना पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी साधना, उसके पिता नरेंद्र पाल सिंह, भाई सूर्य प्रताप और एक अन्य अज्ञात सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत, आरोपी का 3 महीने में 2 मंजिला मकान तैयार... चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाले

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश की नई परतें खुल रही हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे में हेरफेर केवल गणनाकर्मियों के बूते संभव नहीं था। पुलिस और एसआईटी की जांच में बैंक के दो कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नहीं बल्कि सक्रिय मिली है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंककर्मियों की मिलीभगत के बिना दानराशि की चोरी और रिकॉर्ड में हेरफेर लंबे समय तक संभव नहीं था।

आरोपी का 3 महीने में 2 मंजिला मकान तैयार

जांचकर्ता आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़े एक नए बने दो मंजिला घर की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, अयोध्या के शहादतगंज इलाके में यह घर बहुत तेजी से बनाया गया और तीन-चार महीनों में ही लगभग बनकर तैयार हो गया।

दानराशि की गणना के दौरान बैंक की ओर से संविदाकर्मी तैनात किए गए थे, जबकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी बैंक के दो कर्मचारियों- रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप के पास थी। गणना से लेकर रकम बैंक में जमा होने तक दोनों हर चरण में मौजूद रहते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में दोनों की संलिप्तता के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं और उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की तैयारी है।

पहले बनाते घेरा, फिर करते थे चढ़ावा चोरी

जांच में सामने आया है कि आरोपी गणना के दौरान कैमरे के सामने अपने साथियों का घेरा बनाकर नकदी निकाल लेते थे। यदि मौके पर रकम नहीं निकाल पाते थे तो गणना रजिस्टर में चार से पांच लाख रुपये कम दर्ज कर बाद में बैंक में जमा करते समय उतनी राशि निकाल ली जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में बैंककर्मियों की भूमिका अहम बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों की जानकारी और सहयोग के बिना इतनी संगठित तरीके से चढ़ावे में हेरफेर लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं था। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

अयोध्या पुलिस ने SBI बैंक में की छापेमारी

अयोध्या पुलिस ने SBI बैंक में छापेमारी की। उसके कर्मचारियों से पूछताछ की। विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेड की। बैंक कर्मी गगनदीप और रत्नेश को नोटिस दिया गया है। मंदिर में दान पात्र में नोटों की गणना और कलेक्शन का काम एसबीआई के पास था। उधर, दान में कथित हेराफेरी के मामले में एक नई बात सामने आई है।

वन डे गवर्नेंस कार्यक्रम में पात्रों को मिला लाभ

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। तहसील मछलीशहर सभागार में सोमवार को उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन डे गवर्नेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व, कृषि, विकास, स्वास्थ्य, नगर निकाय, खाद्य एवं रसद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निस्तारण किया तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। राजस्व विभाग ने 20 किसानों की वरासत दर्ज कर उनकी खतौनियां वितरित कीं। इसके साथ ही 150 आय प्रमाण- पत्र, 100 जाति प्रमाण-पत्र एवं 110 निवास प्रमाण-पत्र जारी किए गए। विभाग द्वारा पांच नाम संशोधन तथा छह अंश संशोधन के मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया।विकास

विभाग की ओर से 20 जन्म प्रमाण-पत्र एवं नौ मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए गए। वहीं नगर निकाय ने आठ जन्म प्रमाण-पत्र तथा चार मृत्यु प्रमाण - पत्र उपलब्ध कराए।खाद्य एवं रसद विभाग ने नौ नए राशन कार्ड जारी किए तथा 10 नए यूनिट राशन कार्डों में जोड़े। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 345 लोगों की गैर-संचारी रोग (एनसीडी) की स्क्रीनिंग की गई, जबकि 28 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए।इस अवसर पर उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में प्रभारी तहसीलदार हुसैन अहमद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

35 की उम्र के बाद प्रेगनेंट होना कितना सेफ? एक्सपर्ट से जानें जरूरी बातें

35 की उम्र में बेबी प्लान करना आजकल कॉमन हो गया है। लेकिन महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि इतनी लेट ऐज में प्रेगनेंसी कंसीव करना सेफ है। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं।

आज के समय में करियर और कई दूसरी जिम्मेदारियों के चलते महिलाएं 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी का फैसला लेने लगी हैं। कई रिसर्च में सामने आया है कि 30 की उम्र से पहले प्रेगनेंसी कंसीव करना बेस्ट रहता है। थोड़ी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब 35 की उम्रे के बाद ये फैसला लिया जाए। महिलाओं के मन में कई सवाल आते हैं कि 35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करना सेफ है? क्या ऐसा करना मां और बच्चे के लिए सेफ है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस उम्र में बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो पहले हेल्थ चेकअप कराना बेहद जरूरी है। दरअसल, 35 की उम्र में भी प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है लेकिन इसे एडवांस मैटरनल एज पुकारा जाता है।

इस उम्र में प्रेगनेंट होने के बाद कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है जिसमें हाई बीपी, डायबिटीज, प्रीमेच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज का होना शामिल है। चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं कि ऐसा करना सेफ है या नहीं? साथ ही किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

क्या कहती हैं एक्सपर्ट

डॉ. प्रज्ञा कंसल (कंसलटेंट प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, कैलाश दीपक हॉस्पिटल) के मुताबिक बहुत महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि 35 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ है या नहीं? एक्सपर्ट के मुताबिक हां, ये बिल्कुल सेफ हो सकती है। आज भी इस उम्र में बहुत सी महिलाओं की प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी रहती है और वे हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं। बस 35 साल के बाद हम प्रेगनेंसी को थोड़ा ज्यादा ध्यान से मॉनिटर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत ज़रूर होगी, बल्कि सिर्फ इतना कि मां और बच्चे, दोनों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है।

एक बात आपको पता होनी चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ प्रेग्नेंट होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कई बार प्रेग्नेंसी होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी के दौरान हाई बीपी या शुगर होने का रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। मिसकैरेज, समय से पहले डिलीवरी या बच्चे में कुछ जेनेटिक दिक्कतों का खतरा भी पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

हेल्थ चेकअप है सबसे जरूरी

इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूं कि प्रेग्नेंसी की पहले से प्लानिंग करें। जब भी आप बेबी प्लान करने का सोचें, उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर प्री प्रेग्नेंसी चेकअप ज़रूर करवा लें। इसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ, जो दवाइयां आप ले रही हैं, आपके वैक्सीन और अगर आपको शुगर या थायराइड जैसी कोई दिक्कत है, तो उसे भी चेक किया जाता है ताकि सब पहले से कंट्रोल में रहे।

ये दवा लेना न भूलें

साथ ही, प्रेग्नेंसी की कोशिश शुरू करने से पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। इससे बच्चे में जन्म से जुड़ी कुछ समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। हेल्दी खाना खाइए, रोज़ थोड़ा एक्टिव रहिए, अपना वजन सही रखिए और सिगरेट या शराब से पूरी तरह दूर रहिए। अगर सही प्लानिंग की जाए, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए और उनकी सलाह मानी जाए, तो 35 साल के बाद भी ज्यादातर महिलाओं की प्रेगनेंसी सुरक्षित रहती है और वे एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं।

च्यूइंग गम को लेकर लोगों को हैं ये 5 भ्रम, इनकी सच्चाई जानना है अहम

च्यूइंग गम का सेवन करते समय कई लोग इससे जुड़े भ्रमों पर विश्वास कर लेते हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए कई शोध भी हुए हैं, जिनके मुताबिक च्यूइंग गम का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, इसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको च्यूइंग गम से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप इसके सेवन से होने वाले फायदे और नुकसान को समझ सकें।

भ्रम- च्यूइंग गम खाने से निकलता है पाचन रस

यह सबसे आम भ्रम है कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन रस निकलता है, जो कि गलत है। शोधों से पता चला है कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन रस नहीं निकलता है। हालांकि, च्यूइंग गम चबाने से मुंह में लार बनती है, जो पाचन में मदद करती है। लार में पाचन के लिए कुछ तत्व होते हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। हालांकि, यह पाचन के लिए पर्याप्त नहीं है।

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से फूलता है पेट

यह एक और सामान्य भ्रम है कि च्यूइंग गम चबाने से पेट फूलता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप च्यूइंग गम चबाते हैं तो आपके मुंह में अधिक हवा जा सकती है, जिससे गैस बनती है और पेट फूलता हुआ लग सकता है। हालांकि, यह महज एक अनुमान है। अगर आप अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे आपका पेट नहीं फूलेगा।

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से पाचन तंत्र होता है प्रभावित

कई लोग मानते हैं कि च्यूइंग गम खाने से पाचन तंत्र खराब होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। शोध बताते हैं कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन तंत्र पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसके विपरीत, यह मुंह की सफाई में मदद करता है और लार उत्पादन बढ़ाता है, जो पाचन में सहायक होता है। हालांकि, ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं।

भ्रम- च्यूइंग गम खाने से दांत हो जाते हैं खराब

यह भी एक सामान्य भ्रम है कि च्यूइंग गम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। यह सच है कि अगर आप शक्कर युक्त च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे दांतों पर प्लाक जमा हो सकता है, जो कैविटी का कारण बन सकता है। इसलिए, शक्कर रहित विकल्प चुनें या कम मात्रा में शक्कर वाले च्यूइंग गम खाएं। इसके अलावा नियमित ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से भी दांतों की सफाई बनी रहती है।

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर

कुछ लोग मानते हैं कि च्यूइंग गम चबाने से किडनी पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि सामान्य मात्रा में च्यूइंग गम खाने से किडनी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हालांकि, अगर आप अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव नजर आ सकते हैं। इन भ्रमों की सच्चाई जानने के बाद आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकेंगे।

वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई गलती

वर्चुअल मीटिंग्स अब आम हो गई हैं। चाहे ऑफिस की हो या अन्य किसी तरह की, इनका सही तरीके से संचालन करना जरूरी है ताकि पेशेवर छवि बनी रहे। सही कपड़े, बैकग्राउंड, समय पर ध्यान देना और तकनीकी तैयारी रखना अहम है। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि आप बोलते समय म्यूट बटन का उपयोग करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। इस लेख में हम आपको वर्चुअल मीटिंग्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं।

सही कपड़े पहनें

वर्चुअल मीटिंग्स के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। भले ही आप घर पर हों, पेशेवर दिखना अहम है। औपचारिक कपड़े पहनें ताकि आपकी पेशेवर छवि बनी रहे। अगर आप ऑफिस के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं तो वही कपड़े वर्चुअल मीटिंग्स के लिए भी अच्छे रहते हैं। इससे आप खुद को अधिक पेशेवर महसूस करेंगे और आपकी छवि भी बेहतर बनेगी। उचित कपड़े आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मीटिंग का माहौल भी गंभीर बनाते हैं।

बैकग्राउंड का ध्यान रखें

मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड का ध्यान रखना भी जरूरी है। साफ-सुथरा और व्यवस्थित बैकग्राउंड रखें। अगर संभव हो तो दीवार पर कोई बड़ा चित्र न लगाएं क्योंकि इससे ध्यान भटक सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचें। एक साधारण और पेशेवर बैकग्राउंड सबसे अच्छा विकल्प होता है। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनेगी, बल्कि सामने वाले को भी आपके माहौल का सही अंदाजा मिलेगा।

समय पर उपस्थित रहें

वर्चुअल मीटिंग्स में समय पर आना बहुत जरूरी है। समय पर आने से आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है और आप अपने साथियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी कारणवश आप लेट हो रहे हैं तो पहले से ही संदेश कर दें कि आप थोड़ी देर से आएंगे। इससे सामने वाले को आपकी गंभीरता का पता चलेगा और वे आपकी स्थिति को समझेंगे। हमेशा समय का पालन करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

म्यूट बटन का उपयोग करें

जब आप बोलते नहीं हों तो म्यूट बटन का उपयोग करना न भूलें। इससे बैकग्राउंड शोर से बचा जा सकता है और आपकी आवाज साफ-साफ सुनाई देगी। अगर आप किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए बोलने वाले हैं तो पहले म्यूट बटन अनम्यूट करें और फिर बोलें। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है बल्कि आप अपनी बात भी अच्छे से रख पाते हैं। सही तरीके से म्यूट बटन का उपयोग करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

ध्यान केंद्रित रखें

मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और सही तरीके से जवाब दे सकें। अगर आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो आप मीटिंग की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। अपने फोन या अन्य उपकरण को साइलेंट मोड पर रखें ताकि कोई भी विचलित न हो। इस तरह आप वर्चुअल मीटिंग्स को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपनी पेशेवर छवि को बनाए रख सकते हैं।

यूपीआई के जमाने में तिजोरियों में ₹42 लाख करोड़ कैश क्यों रखें हैं भारतीय?

यूपीआई ने मई 2026 में 2320 करोड़ ट्रांजेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन देश में नकदी भी 42 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई। आरबीआई और एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत में डिजिटल और कैश इकोनॉमी फिलहाल साथ-साथ आगे बढ़ रही हैं। ये भी जानिए कि भारत में घर में कितना कैश रख सकते हैं?

भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन नकदी की पकड़ अभी भी कमजोर नहीं हुई है। मई 2026 में यूपीआई ने 2,320 करोड़ ट्रांजेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश में करेंसी इन सर्कुलेशन करीब 42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यानी एक तरफ लोग छोटी से छोटी खरीदारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में कैश भी अपने पास रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारतीयों की पहली पसंद आज भी नकदी है, या फिर यूपीआई और कैश अब अलग-अलग जरूरतें पूरी कर रहे हैं? आइए आंकड़ों से समझते हैं भारत की बदलती पेमेंट आदत।

क्यों नहीं थम रही कैश की रफ्तार?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे करते हुए दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में नई पहचान बनाई है। एनपीसीआई के मुताबिक, मई 2026 में यूपीआई के जरिए 2320 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल कीमत करीब 29.90 लाख करोड़ रुपये रही। औसतन हर दिन 73.7 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। छोटे दुकानदार, ठेले, टैक्सी, किराना स्टोर और बड़े शोरूम तक लगभग हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी तुलना में आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) के जरिए केवल 35।8 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिससे साफ है कि डिजिटल पेमेंट में यूपीआई सबसे आगे निकल चुका है।

फिर भी 42 लाख करोड़ रुपये कैश क्यों?

डिजिटल पेमेंट की इस तेजी के बावजूद आरबीआई के आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय देश में करेंसी इन सर्कुलेशन 17.77 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर मई-जून 2026 में करीब 42 लाख करोड़ रुपये हो गई। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, देश की कुल नकदी का 97.6 प्रतिशत हिस्सा सीधे लोगों के पास है, बैंकों के पास नहीं। इससे यह साफ होता है कि भारतीय परिवार आज भी नकदी को सुरक्षित बचत मानते हैं। रोजमर्रा के छोटे खर्च भले यूपीआई से हो रहे हों, लेकिन आपातकाल, बचत और बड़े लेनदेन के लिए लोग नकदी अपने पास रखना पसंद कर रहे हैं।

आखिर कैश की मांग बढ़ने की वजह क्या है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचकर या गिरवी रखकर नकदी हासिल कर रहे हैं। वहीं, कुछ राज्यों में छोटे व्यापारियों को यूपीआई ट्रांजेक्शन के आधार पर जीएसटी नोटिस मिलने के बाद कई दुकानदार दोबारा कैश लेने लगे हैं। उनका मानना है कि नकद लेनदेन में टैक्स से जुड़े सवाल कम उठते हैं। इसके अलावा, ब्याज दरों में कमी के कारण भी कुछ लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय अपने पास नकदी रखना बेहतर समझ रहे हैं। इन सभी वजहों ने बाजार में कैश की मात्रा बढ़ाने में भूमिका निभाई है।

छोटे खर्च यूपीआई से, बड़े सौदे अब भी कैश में

भारत में भुगतान का तरीका जरूरत के हिसाब से बदल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 500 रुपये से कम के करीब 86 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजेक्शन अब डिजिटल हो चुके हैं। यानी छोटे भुगतान में यूपीआई ने 10, 20 और 100 रुपये के नोटों की जरूरत काफी कम कर दी है। लेकिन जमीन-जायदाद, खेती, असंगठित कारोबार और कई बड़े लेनदेन में आज भी नकदी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ग्रामीण इलाकों में भी कई छोटे दुकानदार और ग्राहक नकद भुगतान को आसान और भरोसेमंद मानते हैं। यही वजह है कि भारत में कैश और डिजिटल दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चल रही हैं।

डिजिटल और कैश, दोनों साथ चलेंगे

अर्थशास्त्री इस स्थिति को 'कैश पैराडॉक्स' कहते हैं। एक तरफ यूपीआई हर महीने 28 से 30 लाख करोड़ रुपये तक के लेनदेन संभाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नकदी भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि, कैश टू जीडीपी रेश्यो 2021 के 14 प्रतिशत से घटकर 2026 में 11 प्रतिशत पर आ गया है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले नकदी का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह कैशलेस नहीं होगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट और नकदी दोनों एक-दूसरे के पूरक बनकर काम करेंगे।

भारत में कैश से जुड़े 5 जरूरी नियम

1- घर में कितना कैश रख सकते हैं?

भारत में घर पर नकदी रखने की कोई कानूनी सीमा तय नहीं है। आप जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। हालांकि, अगर इनकम टैक्स विभाग जांच या छापेमारी करता है, तो आपको यह बताना होगा कि यह पैसा कहां से आया है, जैसे सैलरी, बिजनेस, खेती या किसी अन्य वैध आय से। यदि आप इसका सही स्रोत साबित नहीं कर पाए, तो टैक्स के साथ 137% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

2.2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत किसी एक व्यक्ति से एक दिन में, एक ही लेनदेन में या किसी एक आयोजन (जैसे शादी या समारोह) के लिए 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद लेना प्रतिबंधित है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे मिली पूरी रकम के बराबर यानी 100% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

3- कैश में लोन की सीमा

आयकर अधिनियम की धारा 269SS के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 20,000 रुपये या उससे ज्यादा का लोन या जमा राशि लेता है, तो उसे नकद में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए अकाउंट पेयी चेक, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, आरटीजीएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस नियम का मकसद बड़े नकद लेनदेन पर रोक लगाना है।

4- बैंक में ज्यादा कैश जमा करने पर नजर

यदि किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा या निकाला जाता है, या करंट अकाउंट में यह राशि 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती है, तो बैंक इसकी जानकारी 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT)' के जरिए इनकम टैक्स विभाग को भेजता है। इसका मतलब यह नहीं कि टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसे लेनदेन विभाग की निगरानी में आ जाते हैं।

5- विदेश जाते समय कितना कैश ले जा सकते हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फेमा (FEMA) नियमों के मुताबिक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश जाते समय या विदेश से लौटते समय अपने साथ अधिकतम 25,000 रुपये तक की भारतीय मुद्रा (आईएनआर) ही रख सकता है। इससे ज्यादा भारतीय नकदी ले जाना नियमों के खिलाफ है।

राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, अब परिवार के हिसाब से मिलेगा अनाज, ये है सरकार का नया प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने देश के सबसे गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले अनाज की मात्रा को अब परिवार के सदस्यों की संख्या से जोड़ा जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार किया है और इस पर आगामी 13 जुलाई, 2026 तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, अंत्योदय श्रेणी के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार निश्चित 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह मिलता है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या मायने नहीं रखती।

नए प्रस्ताव के तहत, अब प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रति महीना दिया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिवार के लिए अधिकतम राशन की सीमा को 35 किलोग्राम पर कैप कर दिया गया है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने से छोटे परिवारों को मिलने वाले राशन में कमी आएगी, जबकि बड़े परिवारों को मिलने वाला राशन अधिकतम सीमा पर स्थिर रहेगा।

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा फ्लैट-रेट व्यवस्था (फिक्स्ड 35 किलो) के कारण छोटे और बड़े गरीब परिवारों के बीच भारी असमानता पैदा हो रही थी। उदाहरण के लिए, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन मिलता है। यदि किसी अंत्योदय परिवार में 7 सदस्य हैं, तो 35 किलो के हिसाब से उन्हें प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो ही अनाज मिल पाता था।

यह मात्रा अंत्योदय (सबसे गरीब) होने के बावजूद प्राथमिकता वाले सामान्य गरीब परिवारों के बराबर या उससे कम बैठती थी।

सरकार का कहना है कि यह संशोधन मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि देश के सबसे कमजोर वर्गों को उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। वर्तमान में सरकार इस योजना के तहत चावल और गेहूं पूरी तरह मुफ्त दे रही है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया हमला, 30 की मौत; कराची हमले के बाद बड़ा एक्शन

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान सीमा के पास सैन्य कार्रवाई की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, यह कार्रवाई हाल में पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों के जवाब में की गई। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर पहले से योजना बनाकर सीमा क्षेत्र में जमीनी अभियान और हवाई हमले किए।

अत्ताउल्लाह के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए आतंकी हमलों के बाद यह कार्रवाई की गई। शनिवार रात कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया था। सिंध पुलिस प्रमुख जावेद आलम ओधो ने बताया कि आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को मुख्य गेट से टकरा दिया। इसके बाद वहां भारी गोलीबारी हुई। शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया कि वाहन में विस्फोट भी हुआ था या नहीं।

इस हमले में तीन पाकिस्तानी अर्धसैनिक और तीन आतंकी मारे गए। वहीं, एक जवान के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट (SSU), एंटी-टेररिस्ट फोर्स (ATF), रेंजर्स और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 सिंध की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। अल जजीरा के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी जमात-उल-अहरार ने ली है।

होर्मुज पर बढ़ा तनाव: ईरान-यूएस समझौते का आर्टिकल-5 बना विवाद की जड़

तेहरान, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट और समझौते का आर्टिकल-5 है। दोनों देश एक-दूसरे पर इस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ईरान ने पहले इस रास्ते पर रोक लगा दी थी, जिससे सैकड़ों मालवाहक जहाज फंस गए और दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ।

समझौते के आर्टिकल-5 में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच व्यापारिक जहाजों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुरक्षित रास्ता देगा। साथ ही 30 दिनों के भीतर समुद्र में बिछाई गई सी माइंस दूसरी सैन्य बाधाओं को हटाएगा। लेकिन विवाद इस बात पर है कि होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण किसके पास रहेगा।

ईरान होर्मुज में दखल नहीं चाहता

ईरान का कहना है कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा और निगरानी उसी की जिम्मेदारी है। वहीं अमेरिका चाहता है कि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह स्वतंत्र रहे। इसमें ओमान व अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की भी भूमिका हो। ईरान इसे अपने अधिकार में दखल मानता है। तनाव तब और बढ़ गया जब शुक्रवार को होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, हालांकि ईरान ने जहाज पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन पूरी तरह ईरान की जिम्मेदारी है और किसी भी बाहरी दखल से हालात और बिगड़ेंगे। दूसरी ओर अमेरिका वैकल्पिक समुद्री मार्ग तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान नाराज है।

ईरान ने जहाजों के लिए रास्ता बताया

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने चेतावनी दी कि जहाज केवल ईरान के बताए गए उत्तरी समुद्री मार्ग से ही गुजरें। इसके कारण कई तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। एवर लवली और किकू नाम के दो जहाज भी हमलों का शिकार हुए। इन घटनाओं का असर समुद्री व्यापार पर साफ दिखा। बुधवार को जहां 70 जहाज होर्मुज से गुजरे थे, वहीं शनिवार तक यह संख्या घटकर सिर्फ 40 रह गई। इससे दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश फिलहाल बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं और बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है।

पहली बार गिरते सैटेलाइट को बचाएगा नासा, क्या सफल होगा ₹282 करोड़ का रेस्क्यू मिशन?

वॉशिंगटन, एजेंसी। 22 साल से अंतरिक्ष में काम कर रही नासा की स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी खतरे में है। सौर तूफानों की वजह से इसकी कक्षा लगातार नीचे आ रही है। इसे बचाने के लिए नासा ने करीब 282 करोड़ रुपये का स्विफ्ट बूस्ट मिशन शुरू किया है। इसमें एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर अपने तीन रोबोटिक हाथों से स्विफ्ट टेलिस्कोप को पकड़ेगा और उसे फिर से करीब 600 किमी की सुरक्षित कक्षा में पहुंचाएगा। अगर मिशन सफल रहा, तो यह अंतरिक्ष इतिहास का पहला ऐसा रोबोटिक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा।

नासा इस रोबोटिक मिशन की लॉन्चिंग इसी हफ्ते यानी मंगलवार, 30 जून को करने वाला है। नासा ने स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी को बचाकर ऊंची और अधिक स्थिर कक्षा में स्थापित करने का जिम्मा कैटेलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज नाम की स्टार्टअप कंपनी को सौंपा है। आइए जानते हैं

नासा इस पुराने सैटेलाइट को क्यों बचाना चाहता है। इस तकनीक से और कौन से नए रास्ते खुलेंगे...

स्विफ्ट टेलिस्कोप खतरे में क्यों है?

नासा ने मूल रूप से स्विफ्ट को 2004 में 250 मिलियन डॉलर की लागत से लॉन्च किया था और तब इसे सिर्फ दो साल के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। लॉन्च के समय इसे धरती से 600 किमी ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया था। लेकिन हाल ही में, तेज सोलर एक्टिविटी और सौर तूफानों के कारण यह सैटेलाइट तेजी से नीचे गिर रहा है। इस साल के अंत तक धरती पर वापस गिरकर जल सकता है। चूंकि इस स्पेसक्राफ्ट में कक्षा को बनाए रखने के लिए अपने कोई इंजन नहीं हैं, इसलिए नासा को इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाना पड़ा।

लिंक करेगा स्विफ्ट का रेस्क्यू

इस मिशन को स्विफ्ट बूस्टनाम दिया गया है। कैटेलिस्ट स्पेस ने 'लिंक' नाम का एक ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है।

आकार में यह एक छोटे किचन रेफ्रिजरेटर जितना है, जिसमें 40 फुट का सोलर विंगस्पैन (पंख) लगा है।

इसमें 3 मुख्य आयन इंजन और 3 रोबोटिक हाथ लगे हैं, जिनकी पहुंच 3 फीट से थोड़ी ज्यादा है।

हर हाथ में लेगो मिनी-फिगर के हाथों जैसी दो चिमटी लगी हैं, जो स्विफ्ट को पकड़ेंगी।

इस मिशन की लॉन्चिंग प्रशांत महासागर के मार्शल आइलैंड्स स्थित क्वाजालीन एटोल के रीगन मिसाइल टेस्ट साइट से होगी। इसे ले जाने का काम अंतिम एल-1011 स्टारगेजरकैरियर प्लेन करेगा, जिससे आखिरी बार पेगासस XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट नॉथ्रॉप ग्रुमैन नाम की कंपनी ने बनाया है।

मिशन की चुनौतियां और टाइमलाइन

कैटेलिस्ट ने इस लिंक स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया है, क्योंकि नासा ने पिछले साल सितंबर (2025) में ही उन्हें इसके लिए चुना था।

ताजा अनुमानों के मुताबिक, 1।6-टन के स्विफ्ट टेलिस्कोप का अक्टूबर तक 300 किमी से नीचे जाने का खतरा है।

रेस्क्यू के काम करने के लिए स्विफ्ट का 300 किमी से ऊपर होना जरूरी है।

लॉन्च के बाद, लिंक को स्विफ्ट तक पहुंचने और उसे पकड़ने में लगभग एक महीने का समय लगेगा।

इसके बाद टेलिस्कोप की कक्षा को 360 किमी से बढ़ाकर वापस 600 किमी तक ले जाने में दो महीने और लगेंगे।

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो स्विफ्ट कम से कम पांच साल और काम करेगा।

बचाव की इस प्रक्रिया को आसान बनाने और गिरने की गति को धीमा करने के लिए, नासा ने फरवरी में ही इसके सभी डिवाइसेंज को बंद कर दिया था।

स्विफ्ट को बचाना क्यों जरूरी है?

स्विफ्ट कोई साधारण टेलिस्कोप नहीं है। नासा के एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक शॉन डोमागल-गोल्डमैन के मुताबिक, स्विफ्ट अंतरिक्ष का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो तेजी से घूमकर दूर के गामा-रे विस्फोटों को ट्रैक कर सकता है। ये विस्फोट कुछ ही सेकंड चलते हैं लेकिन हमारे सूर्य के पूरे जीवनकाल से ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। नासा की साइंस मिशन चीफ निकी फॉक्स का कहना है कि फिलहाल इसे रिप्लेस करने के लिए नासा के पास बजट नहीं है, इसलिए इसे खोना एक बड़ी क्षमता खोने जैसा होगा। 2018 में इसका नाम बदलकर 'नील गेहल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी' कर दिया गया था।

मिशन के सफल होने से क्या फायदा होगा?

जान कैटेलिस्ट स्पेस के सीईओ घोनही ली के मुताबिक, यह अंतरिक्ष में जाने वाला अपनी तरह का पहला अमेरिकी अंतरिक्ष रोबोट है। इससे पहले सिर्फ चीन ने 4 साल पहले एक सैटेलाइट को ग्रेवयार्ड कक्षा में धकेलने की सफल कोशिश की थी। नासा का 36 साल पुराना हबल स्पेस टेलिस्कोप भी सोलर तूफानों के कारण ऊंचाई खो रहा है। ली का मानना है कि उनका नया रोबोट हबल की लाइफ भी 2028 तक बढ़ा सकता है। कैटेलिस्ट भविष्य में इसे एक नए बिजनेस के तौर पर देख रहा है।

असम में बाढ़ का कहर: अमित शाह ने हिमंता को किया फोन, गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया भरोसा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को फोन कर राज्य के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक, अमित शाह ने राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ने से हुए नुकसान और मौजूदा हालात की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को राज्य में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'गृह मंत्री ने हमें इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से हरसंभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया है। मैं गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फोन कर धेमाजी में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली।'

धेमाजी में 16 हजार से अधिक लोग प्रभावित

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, धेमाजी जिले के चार राजस्व सर्किलों के 69 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां करीब 16,000 लोग प्रभावित हुए हैं। रविवार शाम मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था कि धेमाजी में बाढ़ की स्थिति पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हमारे लोगों के जीवन पर पड़े इस संकट से हमें गहरा दुख है और इस कठिन समय में हम पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रही है।

रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, ट्रेन सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने बताया कि भारी बाढ़ और तेज कटाव के कारण आर्चीपाथर और सिमेन चपारी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित एक रेलवे पुल का पिलर अस्थिर हो गया है। इसके चलते इस रूट पर सभी ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं।

1965 में बना पुल कटाव की चपेट में आया

रेलवे के बयान के अनुसार, वर्ष 1965 में निर्मित और बाद में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया यह पुल पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में था। हालांकि लगातार भारी बारिश के दौरान नदी के किनारे का बड़ा हिस्सा बह जाने से पुल का एक पिलर अस्थिर हो गया, जिससे एहतियात के तौर पर रेल सेवाएं रोकनी पड़ीं।

उद्धव के 'ऑपरेशन देवेंद्र' पर फडणवीस का तंज– मेरे पंख नहीं, कौन काटेगा?

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक नई राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बीच यह टकराव शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने के कुछ दिनों बाद हुआ है। हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी का चर्चित 'ऑपरेशन टाइगर' असल में 'ऑपरेशन देवेंद्र' था। उन्होंने इसे विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि फडणवीस को भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभरने से रोकने के लिए बनाई गई एक चाल बताया। बिना चुनाव हुए ही सांसद दूसरी पार्टी में चले गए। उन्होंने इसके बजाय BJP क्यों जॉइन नहीं की? मुझे शक है कि यह असल में 'ऑपरेशन देवेंद्र' है। ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने शायद यह सब इसलिए किया ताकि फडणवीस एक खास स्तर पर ही बने रहें और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें। अगर कल ज़रूरत पड़ी, तो ये बागी नेता प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह को वोट देंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 'ऑपरेशन टाइगर' का मकसद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से पहले लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को दो-तिहाई बहुमत दिलाने में मदद करना था। पालघर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उनका पूरा ध्यान विकास पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं एक इंसान हूं। मेरे पंख नहीं हैं, तो उन्हें कौन काट सकता है? मुझे महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों और अपने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब बीजेपी ने पार्टी छोड़ने वालों और ठाकरे के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करने की कोशिश की।

बेबी डू डाई डू का ट्रेलर जारी : हुमा कुरैशी निभाएंगी भारत की पहली देसी हिटवुमन का रोल, बॉक्स ऑफिस पर होगी ऐल्फा से टक्कर

फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर हुमा के किरदार बेबी से परिचय कराता है, जो एक मूक–बधिर महिला है और अपनी चुप्पी के पीछे एक खतरनाक अतीत को छुपाती है। अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ऐसी दुनिया में उसके सफर को दिखाती है जहां भरोसा करना मुश्किल है और हर खुलासे से कहानी में नए मोड़ आते हैं।

बेबी डू डाई डू के निर्माताओं ने आगामी क्राइम थ्रिलर का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है। यह ट्रेलर रहस्यों, विश्वासघात और बदले से भरी एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है। फिल्म में हुमा कुरैशी भारत की पहली देसी हिटवुमन के रूप में एक अभूतपूर्व भूमिका में नजर आ रही हैं।

नाचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित यह फिल्म हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम के बैनर सलीम सिब्लिंग्स के तहत निर्मित पहली फिल्म है। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, उसी दिन आलिया भट्ट और शरवरी की एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर भी रिलीज हो रही है।

दो महिला प्रधान हत्यारों की कहानियों के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक दुर्लभ टकराव होने जा रहा है। इस टकराव ने ऑनलाइन काफी बहस छेड़ दी है, क्योंकि दर्शक बड़े बजट की जासूसी फिल्मों और अपरंपरागत हत्यारी की कहानी के बीच अपना पक्ष चुन रहे हैं।

फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर हुमा के किरदार बेबी से परिचय कराता है, जो एक मूक-बधिर महिला है और अपनी चुप्पी के पीछे एक खतरनाक अतीत को छुपाती है। अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक ऐसी दुनिया में उसके सफर को दिखाती है जहां भरोसा करना मुश्किल है और हर खुलासे से कहानी में नए मोड़ आते हैं।

हुमा ने ट्रेलर में अपने दमदार अभिनय से सबका ध्यान खींचा है, जिसमें उन्होंने डायलॉग्स के बजाय भाव-भंगिमाओं और अभिनय पर अधिक जोर दिया है। वीडियो में तीव्र टकराव, रहस्यमय मिशन और कई रोमांचक क्षण दिखाए गए हैं, जो एक रोमांचक थ्रिलर की झलक देते हैं।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए हुमा ने मीडिया से कहा, बेबी ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वह शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हर भावना को भीतर से व्यक्त करना पड़ा। कई बार तो चुप रहना भी संवाद के पन्ने बोलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता था। मुझे बस यही उम्मीद है कि लोग फिल्म को पहले से समझने की कोशिश किए बिना थिएटर में आएं और बस उसके साथ इस सफर का आनंद लें।

फिल्म में हुमा के अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे, रचित सिंह, विद्या मालवदे, मरुधा शेखावत, अरुण कुशवाह और हिमांशु मलिक अहम भूमिकाओं में हैं। सिकंदर खेर ने बताया कि फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि किरदार वैसे नहीं हैं जैसे वे पहली नजर में दिखते हैं।

उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आया कि इस फिल्म में कोई भी किरदार वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। हर दृश्य में एक नई परत छिपी है। मुझे लगता है कि कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, दर्शकों को इसके अलग-अलग पहलुओं को समझने में मजा आएगा। चंकी पांडे ने पटकथा की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि कहानी दर्शकों को लगातार तब चौंकाती है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे समझ लिया है।

लॉक अप सीजन 2 में कैद होने वाली हैं टीवी की मासूम बहू शिवांगी जोशी, कंटेस्टेंट्स को देंगी टफ कंपटीशन

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। जल्द ही वो आने वाले रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। पर्दे पर मासूम और छुई मुई बहू का किरदार निभाने वाली शिवांगी शो में नए अवतार के नजर आने वाली है। इसी बीच शो के लिए एक्साइटमेंट और खुशी दिखाते हुए शिवांगी ने कई बातें शेयर की हैं।

कंटेंस्टेंट के रूप में नेटफ्लिक्स के इस शो में एंट्री करने पर शिवांगी ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूंगी और हिम्मत करके खेलूंगी। मैं बहुत सेंसिटिव और नर्वस हूं, लेकिन अब मैंने चैलेंज ले लिया है, तो इसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूंगी। शिवांगी की ये बातें उनके फैंस को बहुत पसंद आ रही है और सभी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

बता दें कि शिवांगी को ये रिश्ता क्या कहलाता है से नई ऊंचाई मिली और उन्हें हर घर में पहचान मिली। इसके बाद उन्हें टीवी की सबसे पसंदीदा बहू और बेटी के से एक माना जाता हैं। आज भी उनके शोज के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते है और उनका साथ देते हैं। अब नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो इस रियलिटी शो में दस्तक दे रही है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले हैं। ये शो 28 जून से स्ट्रीम किया जाएगा और इसमें शिवांगी के अलावा राम कपूर जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं।

वहीं बात करें करियर की, तो शिवांगी ने बेगूसराय सीरियल से शुरुआत की थी। वो उत्तराखंड की एक सिंपल लड़की थी, जिसे अंदाजा नहीं था कि वो यहां तक पहुंचेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनके किरदार ने सभी दर्शकों पर मानो जादू कर दिया हो। इसके अलावा शिवांगी को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा गया, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने बीच के शो छोड़ दिया। अब ये शो उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकता हैं।

व्हाइट फोटोशूट में अमीई मिसोबाह का शानदार अंदाज़

अभिनेत्री अमीई मिसोबाह एक बार फिर अपने लेटेस्ट फैशन फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। गोल्डन और व्हाइट रंग के बेहद खूबसूरत परिधान में नज़र आईं अमीई ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और शालीनता से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस फोटोशूट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह तेजी से उभरती हुई फैशन आइकन हैं। तस्वीरों में अमीई विभिन्न आकर्षक पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां उनका ग्लैमर और एलिगेंस का अनोखा संगम देखने को मिलता है। गोल्डन रंग की चमक उनके लुक में लग्ज़री का एहसास जोड़ती है, वहीं व्हाइट आउटफिट उनकी सादगी और आकर्षण को और निखारता है। दोनों रंगों का यह मेल उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बेहतरीन ढंग से उभारता है। उनका बेदाग मेकअप, मनमोहक एक्सप्रेशन्स और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व पूरे फोटोशूट को एक हाई-फैशन मैगज़ीन के कवर जैसा शानदार बना देता है। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनके फैशन सेंस व स्टाइलिश अंदाज़ की जमकर सराहना कर रहे हैं।

चाहे आउटफिट की बारीकियां हों या उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने का अंदाज़, अमीई यह साबित करती हैं कि असली स्टाइल आत्मविश्वास और मौलिकता में बसता है। यह फोटोशूट न केवल उनके फैशन-फॉरवर्ड व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि हर माहौल में चमकने की उनकी क्षमता को भी उजागर करता है।

फैशन और आत्म-अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हुए अमीई ने कहा कि फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, यह आपकी पहचान का प्रतिबिंब है। जब आप अपने पहनावे में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो आपकी आंतरिक सुंदरता अपने आप निखरकर सामने आती है।

इस मनमोहक गोल्डन और व्हाइट फोटोशूट के साथ अमीई मिसोबाह ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती, आकर्षण और स्टार पावर से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फैंस इन शानदार तस्वीरों की जमकर सराहना कर रहे हैं और यह साफ है कि अमीई का फैशन सफर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com